उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति

द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के
प्राक्कलनों के
वर्ष 2019–2020, 2020–2021 तथा 2021–2022 के
प्रश्नावली के संबंध में
दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 को आहूत बैठक
हेतु साक्ष्य

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्राक्कलनों के वर्ष 2019–2020, 2020–2021 तथा 2021–2022 के प्रश्नावली की बिन्दुवार आख्या से संबंधित सारणी।

बिन्दु संख्या	प्रश्न	पृष्ठ संख्या
1	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों के संगठन एवं उसके कार्यों का पूर्ण विवरण	1 से 23
2	विस्तृत विवरण, जिन पर प्राक्कलन आधारित हों। (व्यय की प्रमुख मदों का उल्लेख करते हुए उन तथ्यों का वर्णन किया जाए जिसके आधार पर प्रत्येक मद के लिए धनराशि का अनुमान आय–व्ययक में उल्लिखित है)।	23 से 24
3	गत तीन वर्षों के अनुरूप आंकड़ों की तुलना में विभागीय कार्यों में विस्तार।	24 से 25
4	योजनाएं अथवा परियोजनाएं जिन्हें विभाग ग्रहण कर चुका है। (योजना का नाम तथा विवरण, व्यय के प्राक्कलन, अवधि जिसमें उसके पूरे होने की सम्भावना हो, उत्पादन यदि कोई हो, उन्नति जो अब तक हो चुकी हो, आदि बातें बतलाई जानी चाहिए।)	25 से 31
5	योजना के प्राविधानों एवं लक्ष्यों के विपरीत वित्तीय एवं भौतिक "निष्पादन" की समीक्षा तथा चालू वर्ष एवं योजना के शेष वर्षों के लिए पूर्वानुमान।	31 से 34
6	पूर्वगामी तीन वर्षों के मूल आय–व्ययक अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान तथा वास्तविक व्यय जो प्राक्कलनों के प्रत्येक उपशीर्षक के अन्तर्गत किया गया हो तथा उनमें भिन्नता, यदि कोई हो, के कारण।	34 से 38
7	प्रतिवेदन, यदि कोई हो, जो विभाग ने अपने कार्य के विषय में निर्गत किया हो।	38

उ.प्र. विधानसभा की प्राक्कलन समिति द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2019–20, 2020–21 तथा 2021–22 के परीक्षण से सम्बन्धित प्रश्नावली का उत्तर :–

क.सं.	प्रश्न	उत्तर (नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में उपलब्ध सूचना/अभिलेखों के आधार पर)
1	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों के संगठन एवं उसके कार्यों का पूर्ण विवरण	**1.1 आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का उद्देश्य** आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का मूल उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के साथ–साथ आवासीय समस्या के समाधान हेतु प्रयास करना एवं इस दिशा में किये जा रहे विकास को गति प्रदान करना है। यह विभाग नगरों की आवासीय एवं अन्य समस्याओं के निदान हेतु जहां एक ओर नीतियॉ निर्धारित करता है, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से तीव्र गति से बढ़ रही नगरीय जनसंख्या को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने में भी योगदान प्रदान करता है। **1.2 विभाग का अभ्युदय एवं विकास** 1.2.1 आवास वस्तुतः मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि आवासीय समस्या के समाधान के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए प्रदेश सरकार पहले से ही जागरूक है। आवासीय समस्या के समाधान के लिये पूर्व में "स्वायत्त शासन विभाग" गठित था जो कालान्तर में "आवास एवं नगर विकास" के नाम से पुनर्गठित किया गया। वर्ष 1989 में "आवास एवं नगर विकास" विभाग का विघटन कर स्वतन्त्र रूप से "आवास विभाग" का गठन किया गया जो नवम्बर, 2002 से नाम परिवर्तन के फलस्वरूप आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नाम से जाना जाता है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का संगठनात्मक ढांचा परिशिष्ट–1 पर है। 1.2.2 समाज के विभिन्न वर्गो को सुनियोजित रूप से आवास की सुविधा मुहैया कराने हेतु सर्वप्रथम वर्ष 1952 में एक सामाजिक आवासीय योजना का शुभारम्भ किया गया तथा इस योजना के अर्न्तगत पर्याप्त संख्या में आवास निर्माण एवं विकास के प्रयास भी किये गये। कालान्तर में शहरों को सुनियोजित दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से एवं भवन निर्माण पर यथेष्ट नियंत्रण हेतु "उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958" के अधीन प्रदेश के प्रमुख नगरों को विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों एवं निर्देशों के माध्यम से विकास एवं निर्माण कार्यो को सुनियोजित किया जाने लगा। प्रदेश में उक्त अधिनियम के अधीन अब तक कुल 72 विनियमित क्षेत्र घोषित किए जा चुके है, जिनकी सूची परिशिष्ट–2 पर है। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सुनियोजित रूप से आवास उपलब्ध कराने हेतु "आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965" के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का गठन किया गया एवं इसके साथ–साथ सहकारी क्षेत्र में आवास निर्माण हेतु वर्ष 1969 में "उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ" स्थापित किया गया, जो वर्तमान में नाम परिवर्तन के फलस्वरूप "सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम लिमिटेड" के नाम से कार्यरत है। आवास निर्माण के साथ–साथ नगरों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा "उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973" के अधीन सर्वप्रथम वर्ष 1974 में 5 नगरों (कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज एवं लखनऊ) में विकास प्राधिकरण गठित किये गये और अब तक प्रदेश में कुल 29 विकास प्राधिकरण गठित किये जा चुके हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट–3 पर है। 1.2.3 विशिष्ट महत्व के ऐसे क्षेत्र जिनका राज्य सरकार के विचार से नियोजित विकास आवश्यक है, के प्रयोजनार्थ वर्ष 1985 में उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था, जो कि वर्ष 1986 में "उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986" के रूप में अधिनियमित हुआ। उक्त अधिनियम के अधीन प्रदेश में कुल 04 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित किये

गये हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट–4 पर है।

1.3 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का गठन वर्ष 1966 में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के अधीन किया गया है। परिषद का गठन विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं को नियोजित ढंग से कार्यान्वित करने तथा राष्ट्रीय एवं राज्य आवास नीति के अनुसार आवास सम्बन्धी कार्यों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है।

1.4 विकास प्राधिकरण

1.4.1 प्रदेश के विकासशील नगरों का महायोजना के अनुसार सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु "उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973" के अधीन विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है। प्रदेश में वर्तमान में 29 विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं।

1.4.2 विकास प्राधिकरणों का स्वरूप अधिनियम के अन्तर्गत निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :–

(1) अध्यक्ष, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
(2) उपाध्यक्ष जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
(3) राज्य सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव जो उस विभाग का प्रभारी हो जिसमें तत्समय विकास प्राधिकरण से संबंधित कार्य निष्पादित हो, पदेन।
(4) राज्य सरकार का प्रमुख सचिव, जो वित्त विभाग का प्रभारी हो, पदेन।
(5) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, पदेन।
(6) उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 के अधीन स्थापित उ.प्र. जल निगम का प्रबन्ध निदेशक, पदेन।
(7) मुख्य नगर अधिकारी, वर्तमान पदनाम नगर आयुक्त पदेन।
(8) ऐसे प्रत्येक जिले का, जिसका कोई भाग विकास क्षेत्र के अन्तर्गत हो, जिला मजिस्ट्रेट पदेन।
(9) उक्त नगर के लिये नगर पालिका/नगर निगम के सभासदों द्वारा अपने आप में से चुने गये चार सदस्य, परन्तु ऐसे किसी सदस्य का कार्यकाल उस समय समाप्त हो जायेगा, जब वह (नगर निगम का) सभासद न रह जाये,
(10) तीन से अधिक ऐसे अन्य सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायें।

1.4.3 विकास प्राधिकरणों के प्रमुख कार्य–कलाप

(1) विकास क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना तैयार करना और उसके अनुसार विकास सुनिश्चित करना।
(2) आवासीय एवं अन्य योजनाओं के लिए भूमि और अन्य सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्धन एवं निस्तारण।
(3) अवस्थापना सुविधाओं यथा जल–आपूर्ति, विद्युत–आपूर्ति, जल एवं मल–निस्तारण, तथा अन्य जन–सुविधाओं के प्राविधान हेतु निर्माण, अभियान्त्रिकी, खनन एवं अन्य कियायें कार्यान्वित करना।
(4) विकास व निर्माण कार्यो हेतु विकास/निर्माण अनुज्ञा जारी करना तथा विकास एवं निर्माण कार्यों का विनियमन।

1.5 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण

1.5.1 प्रदेश के विशिष्ट महत्व के क्षेत्रों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के अधीन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 04 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं।

1.5.2 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों का स्वरूप अधिनियम के अन्तर्गत निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:–

(1) अध्यक्ष, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
(2) राज्य सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव जो उस विभाग का प्रभारी हो जिसमें तत्समय विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित कार्य निष्पादित होता हो पदेन।
(3) प्रमुख सचिव, राज्य सरकार, वित्त विभाग, पदेन।
(4) प्रमुख सचिव, राज्य सरकार, नियोजन विभाग, पदेन।
(5) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, पदेन।
(6) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन, पदेन।
(7) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम, पदेन।
(8) ऐसे प्रत्येक जिले का, जिसका कोई भाग विशेष विकास क्षेत्र में सम्मिलित हो, जिला मजिस्ट्रेट, पदेन।
(9) क्षेत्र में कियाशील औद्योगिक, खनिजकर्म और विद्युत उपकमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसे चार व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाये।
(10) दो से अधिक ऐसे अन्य सदस्य जिन्हें विशेष विकास क्षेत्र में अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाये।

1.5.3 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के प्रमुख कार्य–कलाप

(1) विशेष विकास क्षेत्र के लिये योजना तैयार करना और उसके अनुसार सुनियोजित रीति से विकास को बढ़ावा देना एवं सुनिश्चित करना।
(2) विकास योजना को लागू करने के प्रयोजनार्थ, भूमि और अन्य सम्पत्ति को अर्जित करना, धारित करना, विकास करना, प्रबन्ध करना व निस्तारण करना।
(3) अवस्थापना सुविधाओं के सम्बन्ध में उपबन्ध करने हेतु कार्यों का निष्पादन करना।
(4) राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा किये जाने पर विशेष क्षेत्र के प्रबन्धन के लिए उसी रीति से उपबन्ध करना जो नगर पालिकाओं द्वारा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 के अधीन उपबन्धित है।

1.6 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग

1.6.1 प्रदेश में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की स्थापना वर्ष 1948 में एक छोटी इकाई के रूप में की गई थी, परन्तु वर्ष 1950 में इसका विकास एक स्वतन्त्र एवं पूर्ण विभाग के रूप में किया गया। वर्ष 1962 में केन्द्रीय सहायता योजना कार्यक्रम के अर्न्तगत सम्भागीय नियोजन योजना (रीजनल प्लानिंग स्कीम) प्रारम्भ की गई, जो वर्ष 1969 में राज्य आयोजना में सम्मिलित कर दी गई तथा अब इस विभाग के अधिष्ठान का व्यय आयोजनेत्तर मद से वहन किया जाता है ।

1.6.2 वर्तमान में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के दो प्रमुख भाग हैं। पहला भाग मुख्य संगठन तथा दूसरा भाग सम्भागीय नियोजन योजना है। मुख्य संगठन का कार्य स्थानीय एवं निरन्तर प्रकिया के रूप में सम्पादित किया जाता है, जिसके द्वारा प्रदेश के नियोजित विकास के

हित में प्राविधिक निर्देशन के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। मुख्य संगठन के अन्तर्गत मुख्यतः चार प्रभाग कार्यरत हैं (1) नगर नियोजन प्रभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, स्थानीय निकायों, आदि से सम्बन्धित क्षेत्रों के भौतिक विकास को सुनियोजित व नियन्त्रित करने में परामर्श देना व सहायता प्रदान करना है (2) वास्तुकला प्रभाग द्वारा भवन डिजाइन व स्थल नियोजन सम्बन्धी योजनायें निर्धारित शुल्क लेकर तैयार करना है (3) प्राविधिक प्रभाग द्वारा आवास एवं नगर विकास के क्षेत्र की योजनाओं के प्राक्कलनों की जॉच, निर्माण योजनाओं का आवश्यकतानुसार निरीक्षण व प्रगति के अनुश्रवण का कार्य सम्पन्न किया जाता है (4) अनुश्रवण प्रभाग द्वारा राज्य सेक्टर की योजनाओं का अनुश्रवण, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की पंचवर्षीय/वार्षिक योजना, आदि के कार्य सम्पन्न किया जाता है।

1.6.3 सम्भागीय नियोजन योजना वर्ष 1962 में प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत तीव्र गति से विकसित हो रहे नगरों की महायोजनायें तैयार की जाती हैं। इस कार्य हेतु मण्डल स्तर पर 12 सम्भागीय नियोजन खण्ड कार्यरत हैं (सम्भागीय कार्यालयों की सूची पशिष्ट–5 पर है)। नगरों की महायोजनाएं बनाने के लिए आधार मानचित्र तैयार करने हेतु मुख्यालय पर भौतिक सर्वेक्षण खण्ड स्थापित है। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के बड़े नगरों की यातायात समस्याओं के निराकरण हेतु यातायात एवं परिवहन व्यवस्था सम्बन्धी अल्प एवं दीर्घकालीन योजनाओं को तैयार करने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन तथा सहयोग प्रदान करने के लिए विभाग के मुख्यालय पर "ट्रैफिक ट्रान्सपोर्टेशन प्लानिंग एण्ड अप्रेजल यूनिट" सृजित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना के कार्यों के समन्वय एवं प्रगति के अनुश्रवण के उद्देश्य से "नेशनल कैपीटल रीजन प्लानिंग सेल" के नाम से विभाग का एक कार्यालय गाजियाबाद में कार्यरत है। केन्द्रीय पुरोनिधानित छोटे एवं मध्यम नगरों की संगठित विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रदेश के विभिन्न नगरों में स्थित 05 केन्द्रीय इकाईयों एवं 17 स्थानीय इकाईयों के माध्यम से उक्त योजना की प्रगति का अनुश्रवण किया जाता है। वर्ष 2003–04 में केन्द्रीय इकाईयों को मण्डल मुख्यालयों पर तथा स्थानीय इकाइयों को जिला मुख्यालयों पर स्थापित किया गया है। वर्ष 2005 से आई.डी.एस.एम.टी. योजना केन्द्र द्वारा संचालित यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना में संविलीन हो गयी है, जिसका कियान्वयन नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन के माध्यम से किया जा रहा है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा आई.डी.एस.एम.टी. योजना की केवल 'ऑन–गोईंग स्कीम्स'/अवशेष कार्यों के कियान्वयन में समन्वय एवं अनुश्रवण का कार्य किया जा रहा है। आई.डी.एस.एम.टी. के केन्द्रीय एवं स्थानीय कार्यालयों की सूची परिशिष्ट–6 पर है।

1.6.4 महायोजना की प्रगति

प्रदेश में विभिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विनियमित क्षेत्रों, विकास क्षेत्रों एवं विशेष विकास क्षेत्रों की महायोजनायें नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा सम्बन्धित प्राधिकरणों/नियन्त्रक प्राधिकारियों के अनुरोध पर तैयार की जाती है। नगरों की महायोजनायें तैयार किये जाने का कार्य एक निरन्तर प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्पादित किया जाता है। महायोजना अवधि पूर्ण हो जाने पर उस नगर की पुनरीक्षित महायोजना तैयार की जाती है। प्रदेश में कुल 915 जनगणना नगर है, जिसमें विभिन्न नियोजन अधिनियमों यथा–उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत 29 विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत 72 विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत 04 विशेष क्षेत्र विकास क्षेत्र प्राधिकरण अधिसूचित है, जिनमें कुल 175 नगर शामिल है। उक्त में से 90 महायोजनायें उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित हैं।

विभागीय स्तर पर तैयार की जा रही एवं अमृत योजनान्तर्गत कुल 76 नगरों की महायोजनायें तैयार किये जाने/पुनरीक्षित किये जाने का कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है, जबकि 23 नगरों की महायोजनायें बनायी जानी शेष हैं।

1.6.5 जोनल डेवलपमेन्ट प्लान्स की प्रगति

महायोजना के कियान्वयन हेतु जोनल डेवलपमेन्ट प्लान्स/सेक्टर प्लान्स तैयार किया जाना आवश्यक है, जिस हेतु अधिनियमों के अधीन प्रकिया निर्धारित की गयी है। जोनल प्लान्स, महायोजना की रूपरेखा के अन्तर्गत तैयार की जाने वाली एक विस्तृत कार्य योजना है, जिसमें जोन्स/सेक्टर स्तर पर भू–उपयोग, सड़कें, पार्क एवं खुले क्षेत्र, सामुदायिक सुविधायें, सेवायें, सार्वजनिक उपयोगिताओं के प्रस्ताव शामिल होते हैं। शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में आगरा महायोजना–2021 के अन्तर्गत दो जोन (जोन–2 एवं जोन–6), इलाहाबाद महायोजना–2021 के अन्तर्गत एक जोन (जोन–बी–4) तथा गाजियाबाद महायोजना–2021 के एक जोन (जोन–1) का जोनल प्लान, शासन द्वारा स्वीकृत है। प्रदेश के बारह नगरों में छब्बीस जोनल डेवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने की कार्यवाही विभिन्न चरणों में प्रगति पर है, जिसके अन्तर्गत आगरा में 01 जोन, मेरठ में 01 जोन, बरेली में 02 जोन, गोरखपुर में 02 जोन, बुलन्दशहर में 01 जोन, हापुड़–पिलखुआ में 03 जोन, रायबरेली में 01 जोन के जोनल प्लान ड्राफ्ट स्तर तक तैयार कर लिये गये हैं।

1.6.6 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश प्रभाग

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा हरियाणा का क्षेत्र सम्मिलित है, के सन्तुलित एवं सुव्यवस्थित विकास की परिकल्पना को साकार रूप देने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 लागू किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई क्षेत्रीय योजना–2001 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 30242 वर्ग कि.मी. था। कालान्तर में राजस्थान उपक्षेत्र का सम्पूर्ण अलवर जिला सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप यह क्षेत्रफल बढ़कर 33578 वर्ग कि.मी. हो गया है। तत्पश्चात भारत सरकार ने राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 01.10.2013 द्वारा हरियाणा के भिवानी और महेन्द्रगढ़ जिलों और राजस्थान के भरतपुर जिले को एन.सी.आर में सम्मिलित किया था। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने गजट अधिसूचना दिनांक 24.11.2015 द्वारा हरियाणा के जींद और करनाल जिलों और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला एवं भारत सरकार की गजट अधिसूचना दिनांक 16.04.2018 द्वारा शामली जिले को भी सम्मिलित करने के फलस्वरूप एन.सी.आर. का क्षेत्रफल 55083 वर्ग कि.मी. हो गया है। उत्तर प्रदेश प्रभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 08 जनपद सम्मिलित हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 14826 वर्ग कि.मी. है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल 55083 वर्ग कि.मी. का लगभग 26.9 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1985 के अधीन गठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय योजना–2021 को स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा क्षेत्रीय योजना–2021 की स्वीकृति से सम्बन्धित सूचना का प्रकाशन भारत सरकार के गजट दिनांक 17.09.2005 में किया

गया है। एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड की नीति के अनुरूप नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग सेल कार्यालय, गाजियाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश प्रभाग में स्थित एवं कार्यरत विभिन्न विकास अभिकरणों के लिए विकास परियोजनाएं चिन्हित करने, उनका नियोजन, अभिकल्पन तथा डी. पी.आर. तैयार कराने में तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है, जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय योजना–2021 तथा विभिन्न महायोजनाओं में अपेक्षित विकास कियाओं को कियान्वित कराया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 17(1) के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सहभागी राज्यों द्वारा अपने–अपने क्षेत्र का सब–रीजनल प्लान तैयार किये जाने की अपेक्षा है। तत्क्रम में एन.सी.आर प्लानिंग सेल, गाजियाबाद द्वारा तैयार किए गए उत्तर प्रदेश प्रभाग के सब–रीजनल प्लान–2021 को एन.सी.आर प्लानिंग बोर्ड द्वारा जुलाई, 2013 में अनुमोदित किया गया है। उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र में जिला मुजफ्फरनगर एवं शामली सम्मिलित होने के उपरान्त उक्त जनपदों की उपक्षेत्रीय योजना–2021 को तैयार किये जाने एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत उत्तर प्रदेश उपक्षेत्रीय योजना–2021 से इन्टीग्रेट किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय योजना–2041 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसमें प्रक्षेपित जनसंख्या 11.3 करोड़ सम्भावित की गयी है। इस क्षेत्र के भावी जनसंख्या के सुविधाओं के दृष्टिगत क्षेत्रीय योजना को तैयार किया जा रहा है।

1.6.7 **अटल मिशन फार रिजूवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफॉरमेशन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के चयनित 59 नगरों के जी. आई.एस. बेस्ड मास्टर प्लान बनाया जाना–**

भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजना अमृत के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के चयनित 59 नगरों (परिशिष्ट–8 पर सूची संलग्न) की जी.आई. एस. तकनीक पर महायोजनाएं तैयार किये जाने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश को नोडल विभाग नामित किया गया है। अमृत योजनान्तर्गत महायोजना तैयार करने के कम्पोनेंट में निम्न तीन भाग सम्मिलित हैं:–

(क) सैटेलाईट इमेज़ आधारित बेसमैप्स

(ख) जी.आई.एस. आधारित महायोजनाएं

(ग) जी.आई.एस. तकनीक का प्रशिक्षण।

महायोजनायें तैयार करने हेतु सेटेलाइट इमेज आधारित बेसमैप्स तैयार करने का कार्य भारत सरकार द्वारा नेशनल रिमोट सेंसिंग, सेण्टर हैदराबाद को आवंटित किया जा चुका है। जी.आई.एस. आधारित महायोजनायें तैयार करने का कार्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (नोडल विभाग) द्वारा किया जा रहा है।

उक्त कार्य पर आने वाला व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा तथा जिसकी 20 प्रतिशत (रू. 973 लाख) धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है। महायोजनायें तैयार किये जाने सम्बन्धित स्टेट एक्शन प्लान (एस.ए.पी.) भारत सरकार द्वारा

स्वीकृत हो चुका है, जिसके कम में निविदायें आमंत्रित कर चयनित कन्सल्टेन्ट्स के साथ अनुबन्ध निष्पादित किया जा चुका है। चयनित कन्सल्टेन्ट्स द्वारा कार्य किया जा रहा है।

1.6.8 शासन के कार्यों में विभाग की सहभागिता

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा शासन के निर्देशों के कम में विभिन्न नीतियों के आलेख तैयार करने का कार्य, अधिनियमों/नियमों में संशोधन का कार्य, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तैयार करना एवं उसमें संशोधन का कार्य, जोनिंग रेगुलेशन्स में संशोधन का कार्य एवं विभिन्न शासनादेशों के आलेख तैयार करने का कार्य किया जाता है। विभाग द्वारा किये गये कतिपय कार्यों का विवरण निम्नवत् है:–

1.6.8.1 भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अधीन एग्रीमेंट फार सेल/लीज का निर्धारण

प्रदेश में उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण का गठन हो चुका है। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रोमोटर एवं आवंटी के मध्य सम्पादित होने वाले एग्रीमेंट फार सेल/लीज अनुबन्ध प्रारूप को मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त अधिसूचना संख्याः 1740/8–3–18–65विविध/16, दिनांक 17.10.2018 द्वारा जारी किया जा चुका है।

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (उ.प्र. रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) का गठन हो चुका है, जिसके प्रदेश में कियाशील होने के कारण भू–खण्ड, अपार्टमेण्ट या भवन का विक्रय दक्षतापूर्ण और पारदर्शी रीति से सुनिश्चित किया जाना और भू–सम्पदा सेक्टर में उपभोगताओं के हितों की संरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। विनियामक प्राधिकरण कार्यालय हेतु स्थायी रूप से भवन के निर्माण का कार्य त्वरित गति से प्रगति पर है।

1.6.8.2 अयोध्या विकास प्राधिकरण सीमा विस्तार–

अयोध्या विकास क्षेत्र का सीमा विस्तार करने के सम्बन्ध में नगर निगम अयोध्या, जिला–अयोध्या, नगर पंचायत क्षेत्र, भदरसा जिला–अयोध्या, नगर पालिका परिषद क्षेत्र नवाबगंज, जिला–गोण्डा एवं 343 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–10 द्वारा अधिसूचना संख्या–430/आठ–10–20–15ई/2011, दिनांक 15.12.2020 निर्गत की गयी।

1.6.8.3 मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण सीमा विस्तार–

मथुरा–वृन्दावन विकास क्षेत्र का सीमा विस्तार करने के सम्बन्ध में नगर पंचायत बरसाना एवं नगर पंचायत सौंख (डूंगर पट्टी) की सीमाओं के भीतर आने वाला समस्त क्षेत्र एवं 05 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–10 द्वारा अधिसूचना संख्या–431/आठ–10–20–02गठन/04, दिनांक 15.12.2020 निर्गत की गयी।

1.6.8.4 गोरखपुर विकास प्राधिकरण सीमा विस्तार–

गोरखपुर विकास क्षेत्र सीमा विस्तार करने के सम्बन्ध में नगर पंचायत पिपराईच, जिला–गोरखपुर, नगर पंचायत पीपीगंज,

जिला–गोरखपुर, नगर पंचायत मुण्डेरा बाजार, जिला–गोरखपुर एवं 233 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–10 द्वारा अधिसूचना संख्या–451/आठ–10–20–43डी.ए./76, दिनांक 22.12.2020 निर्गत की गयी।

1.6.8.5 **उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति–2018 से आच्छादित इकाईयों को विकास शुल्क एवं भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क में छूट–**

उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति–2018 से आच्छादित इकाईयों को विकास शुल्क दर का 25 प्रतिशत का भुगतान तथा भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट के सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या–8/3099/91/2019–3, दिनांक 17.02.2020 निर्गत की गयी।

1.6.8.6 **उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए 'कृषि' से 'औद्योगिक' में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क को घटाया जाना–**

प्रदेश में औद्योगिकीकरण को तेजी प्रदान करने के लिए भूमि का कृषि उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने हेतु परिवर्तन शुल्क सर्किल रेट का 35 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत टेलीस्कोपी आधार के प्राविधान के साथ लागू किये जाने हेतु उ.प्र. नगर योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 में शासन की अधिसूचना संख्या–1/2020/1259/आठ–8–2020–04विविध/2020, दिनांक 10.11.2020 द्वारा संशोधन किया गया है। भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क में कमी होने से प्रदेश में औद्योगिक इकाईयां आकर्षित होंगी और प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

1.6.8.7 **'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस':**
मानचित्र स्वीकृत प्रक्रिया का सरलीकरण एवं ऑन–लाईन किये जाने की कार्यवाही

- आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों में जनसामान्य की सुविधा हेतु ऑनलाईन मानचित्र स्वीकृति करने की व्यवस्था लागू कर दी गयी है। 'ऑन लाईन बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम' की व्यवस्था समस्त विकास प्राधिकरणों तथा उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद में **लो रिस्क** के भवनों हेतु सितम्बर 2019 एवं **हाई रिस्क** के भवनों हेतु जनवरी 2020 को लागू की जा चुकी है। सभी प्रकार के मानचित्रों को हाई–रिस्क एवं लो–रिस्क श्रेणी में विभाजित करते हुए लो–रिस्क श्रेणी के भवन मानचित्र आर्किटेक्ट द्वारा सत्यापित होने पर 48 घण्टे के अन्दर आपत्ति न होने की दशा में स्वतः स्वीकृति होने की व्यवस्था भी सॉफ्टवेयर में की गयी है। स्वीकृत तलपट मानचित्र क्षेत्र के समस्त एकल आवासीय भवन लो–रिस्क श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। लो–रिस्क के अलावा अन्य समस्त भवन मानचित्र एवं तलपट मानचित्र हाई–रिस्क की श्रेणी मे रखे गये हैं, जिसमें स्थल निरीक्षण के बाद ही मानचित्र भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाते हैं। वर्तमान में लागू किये गये ऑन लाईन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम पोर्टल पर अभी तक 10,166 आवेदन प्राप्त हो चुके है जिनमे से 6971 मानचित्रो का निस्तारण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रदेश के समस्त विनियमित क्षेत्रों में उक्त व्यवस्था लागू किया जाना प्रस्तावित है।

- **ऑन लाईन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (ओबीपीएएस) की विशेषतायें:**
  - प्राधिकरणों में मानचित्रों को ऑन लाईन जमा किये जाने की व्यवस्था है।
  - ओ.बी.पी.ए.एस. द्वारा विकसित साफ्टवेयर में ऑटो–डी.सी.आर. तकनीक के माध्यम से स्वतः परीक्षण किया जाता है, जिससे कि किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप न हो।
  - मानचित्र में कोई कमी पायी जाने की दशा में उक्त कमी/त्रुटि सम्बन्धी सूचना आवेदक/आर्कीटेक्ट के पास बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वतः एस.एम.एस. द्वारा प्रदान की जाती है।
  - निर्धारित अवधि में सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा जमा किये गये मानचित्र पर शार्टफाल किसी प्रकार का दिये जाने पर सिस्टम द्वारा स्वतः स्वीकृति पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही प्रगतिशील है।
  - जिन विभागों से मानचित्र पर अनापत्ति की आवश्यकता होती है, को सिस्टम द्वारा स्वतः सम्बन्धित विभाग को मानचित्र प्रेषित करते हुए प्राप्त किया जाता है।
  - मोबाईल अप्लीकेशन के माध्यम से आवेदक द्वारा अपने निर्माण कार्य को स्वतः अपडेट किये जाने की व्यवस्था हैं।
  - आवेदक को मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी प्रत्येक कार्यवाही की सूचना ई–मेल एवं मोबाइल एस.एम.एस. द्वारा स्वतः प्रेषित किये जाने की व्यवस्था हैं।
  - सम्पूर्ण प्रक्रिया को यथा–सम्भव ''मानव हस्तक्षेप रहित'' पद्धति पर तैयार किया गया है।

1.6.9 **आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण एवं पर्यावरण सुधार 2020–21**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–5, उ.प्र. शासन के पत्र संख्या–22019/881/81–5–2019–03/2019, दिनांक 21.11.2019 द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को वर्ष 2020–21 में 5.0 लाख पौधे रोपित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पत्र संख्या–642/आठ–1–20–34बैठक/17टी.सी., दिनांक 18.05.2020 द्वारा विभाग के अभिकरणों को 7,41,500 पौधे रोपित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अभिकरणों द्वारा वर्ष 2020–21 में 6,46,537 पौधे रोपित किये गये हैं, जिसमें मियावकी विधि से 54,900 पौधे सम्मिलित हैं। इस प्रकार विभाग द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–5, उ.प्र. शासन के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अधिक पौधे रोपित किये गये है।

1.6.10 परिसरों की किरायेदारी को विनियमित करने और भू–स्वामियों तथा किरायेदारों के हितों का संरक्षण करने हेतु किराया प्राधिकरण तथा किराया अभिकरणों की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या अनुषांगिक विवादों या मामलों का समाधान करने हेतु त्वरित न्यायनिर्णयन क्रियाविधि का उपबन्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अध्यादेश, 2021, उ.प्र. शासन, विधायी अनुभाग–1 की अधिसूचना दिनांक 09 जनवरी, 2021 द्वारा प्रख्यापित किया जा चुका है।

1.7 नगर भूमि सीमारोपण

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम 1976, उत्तर प्रदेश राज्य में फरवरी, 1976 में लागू किया गया था। अधिनियम का मूल उद्देश्य बड़े शहरों मे अधिनियम के प्राविधानों के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक रिक्त भूमि धारकों से अधिग्रहीत कर इसे आवासहीन निर्बल आय–वर्ग को आवास हेतु उपलब्ध कराना, बड़े शहरों मे आवासीय समस्या का समाधान करना तथा शासकीय कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता की पूर्ति कराना था। वर्ष 1976 मे उत्तर प्रदेश में इस अधिनियम के अधीन नगर भूमि सीमारोपण विभाग के कार्यालय प्रयागराज, आगरा, अलीगढ़, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, मेरठ एवं देहरादून (वर्तमान मे उत्तरांचल में) स्थापित किये गये।

उक्त अधिनियम केन्द्र सरकार ने "नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999" द्वारा जनवरी 1999 में निरसित कर दिया गया है, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा भी अंगीकृत कर लिया गया है। अधिनियम के निरसन के उपरान्त विभाग मे "नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम, 1976" के अन्तर्गत अधिग्रहण उपरान्त आवंटित हो चुकी भूमि का मूल्य प्राप्त करने की कार्यवाही, कब्जाशुदा भूमि पर चिन्हांकन/मूल्यांकन आदि की कार्यवाही की जा रही है तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिकाओं/विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में राज्य की ओर से पैरवी/शपथ पत्र दाखिल कराने की कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त विभाग मे कार्यरत कार्मिकों को अन्य विभाग मे स्थानान्तरित किये जाने की कार्यवाही प्रकिया में है ।

1.8 आवास बन्धु

1.8.1 संक्षिप्त परिचय

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के नियोजित विकास एवं आवास निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के समाधान, निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने, विकास प्राधिकरणों और आवास एवं विकास परिषद की "सुविधाप्रदायक" भूमिका को सुदृढ़ बनाने तथा परियोजना कियान्वयन में उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण के उद्देश्य से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन वर्ष 1997 में "आवास बन्धु" का गठन किया गया है। आवास बन्धु, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लिए एक चिन्तन केन्द्र के रूप में कार्यरत है।

1.8.2 मुख्य कार्य–कलाप

(1) आवास सेक्टर की आवश्यकताओं एवं चुनौतियों के प्रत्युत्तर में एक नई सोच विकसित करना,
(2) आवास क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं की समस्याओं का समाधान।
(3) विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद के कार्य–कलापों का अनुश्रवण व कार्यपूर्ति मूल्यांकन,
(4) लोक शिकायतों का समाधान,
(5) सिस्टम सुधार,
(6) प्रकियाओं एवं पद्धतियों का मानकीकरण,
(7) प्रशिक्षण प्रबन्धन एवं मानव संसाधन विकास,
(8) शासन की नीतियों एवं दिशा–निर्देशों का संकलन/प्रकाशन तथा आवास क्षेत्र से सम्बन्धित नवीन सूचनाओं का प्रलेखन, प्रचार एवं प्रसार।

1.8.3 आवास बन्धु की उच्च स्तरीय कार्यकारिणी

(1)	राज्य सरकार द्वारा नामित	अध्यक्ष
(2)	राज्य सरकार द्वारा नामित	उपाध्यक्ष
(3)	प्रमुख सचिव, राजस्व	सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
(5)	प्रमुख सचिव, नगर विकास	सदस्य
(6)	प्रमुख सचिव, ऊर्जा	सदस्य
(7)	प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त	सदस्य
(8)	आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ	सदस्य
(9)	नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ	सदस्य
(10)	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ	सदस्य
(11)	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प.	सदस्य
(12)	अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उ.प्र.।	सदस्य–संयोजक

1.9 सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम लिमिटेड

उ.प्र. सहकारी आवास समिति अधिनियम, 1965 के अधीन सहकारी आवास समितियों की शीर्ष सहकारी समिति के रूप में वर्ष 1969 में उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ का गठन किया गया था। संघ का कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के अतिरिक्त उत्तराखण्ड में होने के फलस्वरूप संघ अब मल्टी स्टेट अधिनियम के अधीन होने के दृष्टिगत सेन्ट्रल रजिस्ट्रार, मल्टी स्टेट अधिनियम, 2002 के अधीन सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम लिमिटेड के रूप में कार्यरत है। सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम के मुख्य उद्देश्य एवं कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:–

(1) आवास योजना को कार्यान्वित करने के लिए भूमि पट्टे पर, विनिमय, क्रय या अन्य प्रकार से प्राप्त करना तथा उसे विकसित करना।

(2) सदस्यों की आवश्यकतानुसार आवास बनाना या बनवाना और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना तथा प्राविधिक सलाह देना व दिलाना।

(3) सदस्यों को सीधी खरीद, किराया खरीद (हायर पर्चेज) या किराए के आधार पर आवास उपलब्ध कराना या देना।

(4) आवास निर्माण हेतु भूमि क्रय करने तथा आवास निर्माण के लिए सदस्यों को भूमि और भवन बन्धक रखकर ऋण देना।

(5) ऋण पत्रों (डिबेन्चर्स) तथा अन्य लेखों द्वारा ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से धन प्राप्त करना।

(6) डिबेन्चर्स के अतिरिक्त अमानतें लेना तथा अन्य पद्धतियों से ऋण प्राप्त करना।

(7) राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सदस्यों को ऋण प्रदान करना।

(8) सहकारी कालोनियों का विकास करना।

1.10 विनियमित क्षेत्र

प्रदेश के द्रुत गति से बढ़ रहे ऐसे महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र जहॉ विकास प्राधिकरणों का गठन अभी व्यवहारिक नहीं है, में अव्यवस्थित विकास को

नियन्त्रित करने, महायोजना बनाने तथा महायोजना के अनुरूप सुनियोजित विकास सुनिश्चित किये जाने हेतु उ.प्र. (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 के अधीन विनियमित क्षेत्रों का गठन किया गया है। प्रदेश में कुल 72 विनियमित क्षेत्र कार्यरत है, जिनकी सूची परिशिष्ट–2 पर है। विनियमित क्षेत्रों के मुख्य कार्य–कलाप निम्नानुसार हैं :–

(1) विनियमित क्षेत्र में अव्यवस्थित विकास और निम्न मापदण्ड वाली कालोनियों के निर्माण पर नियंत्रण,

(2) विनियमित क्षेत्र हेतु महायोजना तैयार करना एवं उसके अनुसार सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना,

(3) विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत विकास एवं निर्माण कार्यों हेतु अनुज्ञा प्रदान करना।

1.11 उ.प्र. मेट्रो रेल कारपोरेशन

1.11.1 लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना

(1) परियोजना की पृष्ठभूमि

लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन वर्ष 2013 में हुआ था, जोकि भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में विशेष प्रयोजन साधन उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरणवार निष्पादन के दायित्व के साथ स्थापित की गई थी।

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण (फेज–1ए)– नार्थ–साउथ कॉरिडोर (चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया) 22.878 किमी. तक शहर की व्यस्त व्यावसायिक तथा आवासीय क्षेत्रों हेतु चिन्हित किया गया था एवं इस पर कार्य पूर्ण हो चुका है।

नार्थ–साउथ कॉरिडोर के प्राथमिकता सेक्शन (8.5 किमी) का व्यवसायिक संचालन 05.09.2017 से शुभारम्भ हो चुका है। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के सम्पूर्ण 22.878 किमी0 सेक्शन पर मेट्रो सेवा का भी शुभारम्भ किया जा चुका है। नार्थ–साउथ कॉरिडोर का विवरण निम्नवत है:

कुल दूरी	–	22.878 किमी.
एलिवेटेड	–	19.438 किमी.
भूमिगत	–	03.440 किमी.
नाप	–	मानक नाप
ट्रैक्शन	–	25 के.वी. ए.सी. एकल चरण ओ.एच.ई.
गति	–	अधिकतम 80 किमी. प्रति घण्टा औसत 34 किमी. प्रति घण्टा
स्टेशनों की संख्या	–	21 (17 एलिवेटेड, 4 भूमिगत)
हेड–वे	–	प्रारम्भ से 7 मिनट तत्पश्चात 2 मिनट का अन्तराल (प्राथमिकता चरण में अन्तराल 9 मिनट का है)

परिकल्पित पीएचपीडीटी – 41969 (6 कार ट्रेन सेट)

लखनऊ शहर में तीव्र, सुखद, सुरक्षित तथा मितव्ययी मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम उपलब्ध कराना जो प्रतिफल में लखनऊ शहर के विकास एवं समृद्धि में सहयोगी होगा। यह एक विशेष प्रयोजन साधन उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरणवार निष्पादन के दायित्व के साथ स्थापित की गई है।

(2) परियोजना लागत

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	रू0 5590 करोड़
अनुमोदित समापन लागत	रू0 6928 करोड़
परियोजना की अनुमानित समापन लागत	रू0 6928 करोड़

वित्त पोषण के अन्तर्गत विशेष प्रयोजन साधन मॉडल (केन्द्रीय करों के साथ) हेतु विभिन्न मदों में प्रावधानित धनराशि का विस्तृत विवरण निम्नवत है:

विवरण	धनराशि (करोड़ में)	अंशदान (प्रतिशत में)
भारत सरकार की अंशपूंजी	1003	15.43
भारत सरकार–केन्द्रीय करों हेतु सबऑर्डिनेट ऋण	297	4.57
भारत सरकार द्वारा कुल अंशदान	**1300**	**20.00**
उ0प्र0 सरकार की अंशपूंजी	1003	15.43
उ0प्र0 सरकार– केन्द्रीय करों हेतु सबऑर्डिनेट ऋण	449	6.91
स्थानीय निकायों से अनुदान	245	3.77
द्विपक्षीय/बहुपक्षीय ऋण	3502	53.89
योग	**6499**	**100.00**
उ0प्र0 सरकार–भूमि हेतु सबऑर्डिनेट ऋण (सरकारी भूमि को छोड़कर)	381	
कुल योग	**6880**	
जोड़–ऋण प्रदायी संस्था द्वारा दिये जाने वाले ऋण पर निर्माण के समय ब्याज के रूप में अतिरिक्त सहायता के माध्यम से पारित धनराशि	48	
कुल योग	**6928**	

'उक्त परियोजना की समापन लागत पर राज्य के करों के रूप में धनराशि रू0 132 करोड़ (2013 के आधार पर) , मार्च 2019 तक एस्कैलेटेड धनराशि रू0 171 करोड उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति/माफ की जानी है।

परियोजना हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा किये गये वित्त पोषण की अद्यावधिक स्थिति निम्नवत् है–

(रू0 करोड़ में)

क्र. स.	विवरण	डी.पी.आर. के अनुसार वित्त पोषण	बजट के सापेक्षप्राप्त धनराशि							कुल प्राप्त धनराशि	अवशेष धनराशि
			2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20		
	भारत सरकार										
1	इक्विटी	1003.00	–	–	112.60	239.00	508.32	143.08	–	1003.00	–
2	केन्द्रीय करों हेतु सब–ऑर्डिनेट डेट	297.00	–	–	28.32	60.00	158.68	50.00	–	297.00	–
3	वाह्य ऋण	3502.00	–	–	–	841.00	981.00	1680.00	–	3502.00	–
(क)	कुल	4802.00	–	–	140.92	1140.00	1648.00	1873.08	–	4802.00	–
	उ0प्र0 सरकार										
1	इक्विटी	1003.00	20.05	50.00	450.00	400.00	82.95	–	–	1003.00	–
2	केन्द्रीय करों हेतु सब–ऑर्डिनेट डेट	449.00	–	10.00	50.00	200.00	135.05	53.95	–	449.00	–
3	स्थानीय निकायों द्वारा अनुदान	245.00	27.00	113.00	93.75	–	–	–	–	233.75	11.25
4	भूमि लागत के सापेक्ष सब–ऑर्डिनेट डेट	381.00	–	25.00	100.00	150.00	15.00	74.05	16.95	381.00	–
(ख)	कुल	2078.00	47.05	198.00	693.75	750.00	233.00	128.00	16.95	2066.75	11.25
	महायोग (क+ख)	6880.00	47.05	198.00	834.67	1890.00	1881.00	1364.08	16.95	6868.75	11.25
	राज्य करों हेतु राज्य सरकार द्वारा सहायता	171.00	–	10.00	25.00	64.00	–	72.00		171.00	–
	कुल धनराशि									7039.75	

(3) लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना की वर्तमान अवस्थिति

- ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक निर्मित लगभग 8.5 किमी0 लम्बे प्राथमिक सेक्शन पर मेट्रो सेवा का संचालन दिनांक 05.09.2017 से प्रारम्भ किया गया।
- चारबाग से के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम तथा ट्रांसपोर्ट नगर से चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक के लगभग 15 किमी0 के अवशेष सेक्शन पर निर्माण कार्य निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही रिकॉर्ड अवधि में पूर्ण कराये गये।
- सम्पूर्ण नार्थ–साउथ कॉरिडोर पर निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य दिनांक 01.04.2019 था परन्तु लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा निर्माण कार्य 36 दिन पूर्व ही पूर्ण कराया गया।
- अवशेष सेक्शन पर मेट्रो सेवा के संचालन हेतु आवश्यक मुख्य संरक्षा आयुक्त से स्वीकृति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 30.11.2018 को आवेदन किया गया। मुख्य संरक्षा आयुक्त द्वारा दिनांक 20.02.2019 से दिनांक 22.02.2019 तक अवशेष कॉरिडोर का निरीक्षण किया गया तथा इस पर मेट्रो रेल का संचालन प्रारम्भ करने हेतु दिनांक 23.02.2019 को स्वीकृति प्रदान की गई।
- लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के सम्पूर्ण 22.878 किमी0 सेक्शन पर मेट्रो सेवा का संचालन दिनांक 08.03.2019 को मा0 प्रधान मंत्री, भारत सरकार के कर–कमलों द्वारा शुभारम्भ किया गया है।

1.11.2 लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज़–1 बी

- लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज 1 का डी0पी0आर0 डी0एम0आर0सी0 द्वारा वर्ष 2013 में तैयार किया गया था।
- इस डी0पी0आर0 में निम्नलिखित 2 कॉरिडोर प्रस्तावित थे–
  - 1. नार्थ–साउथ कॉरिडोर–22.878 किमी0 तथा
  - 2. ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर–11.165 किमी0
- उ0प्र0 सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में प्रथम चरण में नार्थ–साउथ कॉरिडोर का क्रियान्वयन किया गया तथा इस कॉरिडोर पर 8 मार्च, 2019 में रेवेन्यू ऑपरेशन प्रारम्भ किया जा चुका है।
- ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर का डी0पी0आर0 माह जून, 2018 में संशोधित किया गया तथा उ0प्र0 सरकार को दिनांक 16.07.2018 को प्रेषित किया गया।
- पुनः इस डी0पी0आर0 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आगरा व कानपुर मेट्रो रेल परियोजनाओं हेतु निर्धारित बेंचमार्किंग के आधार पर संशोधित किया गया तथा दिनांक 13.02.2019 को राज्य सरकार को प्रेषित किया गया।
- राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में यू0पी0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा डी0एम0आर0सी0 के स्तर से तैयार की गई डी0पी0आर0 का तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन करते हुए माह नवम्बर, 2019 में क्विक अप्रेजल रिपोर्ट राज्य सरकार को उपलब्ध करायी गयी।

- संशोधित डी.पी.आर. के अनुसार परियोजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं–

➢ परियोजना की कम्पलीशन लागत–4888.00 करोड़

➢ परियोजना की पूर्णता अवधि–4 वर्ष

➢ परियोजना की ई0आई0आर0आर0–16.61 प्रतिशत

➢ परियोजना की एफ0आई0आर0आर0–4.52 प्रतिशत

➢ कॉरिडोर का विवरण–

कोरिडोर का नाम	कोरिडोर की लम्बाई (किमी0)			स्टेशन की संख्या		
	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल
चारबाग से वसंत कुंज	4.286	6.879	11.165	5	7	12

1.11.3 कानपुर मेट्रो रेल परियोजना

- नई मेट्रो रेल पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन के समन्वय से राइट्स द्वारा तैयार किये गये संशोधित डी.पी.आर. पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए इसे दिनांक 24.01.2018 को भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया, तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा विभिन्न मेट्रो रेल परियोजनाओं के आधार पर की गई बेंचमार्किंग के अनुरूप परियोजना की लागत को संशोधित करते हुए अनुपूरक डी.पी.आर. दिनांक 08.01.2019 को भारत सरकार को प्रेषित किया गया।
- परियोजना पर पी0आई0बी0 द्वारा दिनांक 06.02.2019 तथा केन्द्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 28.02.2019 को अनुमोदन प्रदान किया गया। तद्नुसार भारत सरकार द्वारा दिनांक 09.03.2019 तथा 27.05.2019 द्वारा स्वीकृति पत्र प्रेषित किया गया।
- अनुपूरक डी.पी.आर. के अनुसार परियोजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं–

➢ परियोजना की कम्पलीशन लागत–11076.48 करोड़

➢ परियोजना की पूर्णता अवधि–5 वर्ष

➢ परियोजना का ई.आई.आर.आर.–18.48 प्रतिशत

➢ परियोजना का एफ.आई.आर.आर.–8.89 प्रतिशत

➢ कॉरिडोर्स का विवरण–

कोरिडोर का नाम	कोरिडोर की लम्बाई (किमी0)			स्टेशन की संख्या		
	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल
आई.आई.टी. कानपुर से नौबस्ता	15.2	8.6	23.8	14	8	22
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बर्रा –8	4.2	4.4	8.6	4	4	8

- कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन का निर्माण कार्य मा0 मुख्यमंत्री जी के कर–कमलों द्वारा दि. 15.11.2019 को प्रारम्भ किया गया ।
- परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

वित्त पोषण के अन्तर्गत विशेष प्रयोजन साधन मॉडल (केन्द्रीय करों के साथ) हेतु विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशि का विवरण निम्नवत है:

विवरण	धनराशि (करोड़ में)	अंशदान (प्रतिशत में)
भारत सरकार की अंशपूंजी	1561.99	15.88
उ0प्र0 सरकार की अंशपूंजी	1561.99	15.88
भारत सरकार– केन्द्रीय करों हेतु सबऑर्डिनेट ऋण	405.34	4.12
उ0प्र0 सरकार– केन्द्रीय करों हेतु सबऑर्डिनेट ऋण	405.34	4.12
द्विपक्षीय/बहुपक्षीय ऋण	5551.99	56.44
स्थानीय निकायों से अनुदान	350.00	3.56
कुल लागत (भूमि, आर0आर0 एण्ड पी0पी0पी0 कम्पोनेन्ट को छोड़कर)	**9836.65**	**100**
उ0प्र0 सरकार–भूमि हेतु सबऑर्डिनेट ऋण (सरकारी भूमि को छोड़कर)	352.47	
राज्य करों के लिए वित्तीय सहायता	671.08	6.38
योग	10860.20	
पी0पी0पी0 कम्पोनेन्ट (ए0एफ0सी0 फॉर स्टेशन)	197.46	
आई.डी.सी.	18.82	
कुल योग	**11076.48**	

परियोजना हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा किये गये वित्त पोषण की अद्यावधिक स्थिति निम्नवत् है–

(रू0 करोड़ में)

क्र.स.	विवरण	डी.पी.आर. के अनुसार वित्त पोषण	बजट के सापेक्षप्राप्त धनराशि					कुल प्राप्त धनराशि	अवशेष धनराशि
			2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24		
1	इक्विटी	1561.99	78.11	237.00	262.00	-	-	577.11	984.88
2	केन्द्रीय करों हेतु सब–ऑर्डिनेट डेट	405.34	-	48.00	85.00	-	-	133.00	272.34
3	वाह्य ऋण	5551.99	-	851.00	1665.00	-	-	2516.00	3035.99
(क)	कुल	**7519.32**	**78.11**	**1136.00**	**2012.00**	-	-	**3226.11**	**4293.21**
1	इक्विटी	1561.99	175.00	187.20	312.00	-	-	674.20	887.79
2	केन्द्रीय करों हेतु सब–ऑर्डिनेट डेट	405.34	-	48.60	81.00	-	-	129.60	275.74
3	स्थानीय निकायों द्वारा अनुदान	350.00	-	-	-	-	-	-	350.00
4	भूमि लागत के सापेक्ष सब–ऑर्डिनेट डेट	352.47	-	42.00	70.00	-	-	112.00	240.47
5	राज्य करों हेतु राज्य सरकार द्वारा सहायता	671.08	-	80.40	134.00	-	-	214.40	456.68
(ख)	कुल	**3340.88**	**175.00**	**358.20**	**597.00**	-	-	**1130.2**	**2210.68**
	महायोग (क+ख)	**10860.20**	**253.11**	**1494.20**	**2609.00**	-	-	**4356.31**	**6503.89**

आगरा मेट्रो रेल परियोजना

- नई मेट्रो रेल पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन के समन्वय से राइट्स द्वारा तैयार किये गये संशोधित डी.पी.आर. पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए इसे दिनांक 24.01.2018 को भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया, तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा विभिन्न मेट्रो रेल परियोजनाओं के आधार पर की गई बेंचमार्किंग के अनुरूप परियोजना की लागत को संशोधित करते हुए अनुपूरक डी.पी.आर. दिनांक 08.01.2019 को भारत सरकार को प्रेषित किया गया।
- परियोजना पर पी0आई0बी0 द्वारा दिनांक 06.02.2019 तथा केन्द्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 28.02.2019 को अनुमोदन प्रदान किया गया। तद्नुसार भारत सरकार द्वारा दिनांक 09.03.2019 तथा 27.05.2019 द्वारा स्वीकृति पत्र प्रेषित किया गया।

- अनुपूरक डी.पी.आर. के अनुसार परियोजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं–
  - ➢ परियोजना की कम्पलीशन लागत–8379.62 करोड़
  - ➢ परियोजना की पूर्णता अवधि–5 वर्ष
  - ➢ परियोजना का ई.आई.आर.आर.–17.32 प्रतिशत
  - ➢ परियोजना का एफ.आई.आर.आर.–10.07 प्रतिशत
  - ➢ कॉरिडोर्स का विवरण–

कोरिडोर का नाम	कोरिडोर की लम्बाई (किमी0)			स्टेशन की संख्या		
	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल
सिकन्दरा से ताज ईस्ट गेट	6.3	7.7	14	6	7	13
आगरा कैण्ट से कालिन्दी विहार	15.4	–	15.4	14	–	14

- टी.टी.जेड. क्षेत्र में निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में प्रभावी मा0 उच्चतम् न्यायालय के स्थगनादेश के सापेक्ष परियोजना के कार्यों को प्रारम्भ कराये जाने हेतु दिनांक–16.10.2019 को मा0 उच्चतम् न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल की गई।
- दिनांक 14.07.2020 को हुई सुनवाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आगरा मेट्रो परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी गई।

• माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की शुभ उपस्थिति में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा 07.12.2020 को आगरा मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण शुरू हुआ । वित्त पोषण के अन्तर्गत विशेष प्रयोजन साधन मॉडल (केन्द्रीय करों के साथ) हेतु विभिन्न मदों में प्रावधानित धनराशि का विवरण निम्नवत है:

विवरण	धनराशि (करोड़ में)	अंशदान (प्रतिशत में)
भारत सरकार की अंशपूंजी	1156.56	15.85
उ0प्र0 सरकार की अंशपूंजी	1156.56	15.85
भारत सरकार– केन्द्रीय करों हेतु सबऑर्डिनेट ऋण	302.97	4.15
उ0प्र0 सरकार– केन्द्रीय करों हेतु सबऑर्डिनेट ऋण	302.97	4.15
द्विपक्षीय/बहुपक्षीय ऋण	4178.59	57.26
स्थानीय निकायों से अनुदान	200.00	2.74
योग	**7297.65**	**100**
उ0प्र0 सरकार–भूमि हेतु सबऑर्डिनेट ऋण (सरकारी भूमि को छोड़कर)	423.53	
राज्य करों के लिए वित्तीय सहायता	505.67	
योग	**8226.85**	
पी.पी.पी. कम्पोनेन्ट	138.54	
आई.डी.सी.	14.23	
कुल योग	8379.62	

• परियोजना हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा किये गये वित्तपोषण की अद्यावधिक स्थिति निम्नवत् है–

(रू0 करोड़ में)

क्र.स.	विवरण	डी.पी.आर. के अनुसार वित्त पोषण	बजट के सापेक्षप्राप्त धनराशि					कुल प्राप्त धनराशि	अवशेष धनराशि
			2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24		
1	इक्विटी	1156.56	57.83	181.00	181.00	-	-	419.83	736.73
2	केन्द्रीय करों हेतु सब–ऑर्डिनेट डेट	302.97	-	35.00	64.00	-	-	99.00	203.97

3	वाह्य ऋण	4178.59	-	-	877.00	-	-	877.00	3301.59
(क)	कुल	**5638.12**	**57.83**	**216.00**	**1122.00**	-	-	**1395.83**	**4242.29**
1	इक्विटी	1156.56	100.00	138.00	231.00			469.60	686.96
2	केन्द्रीय करों हेतु सब–ऑर्डिनेट डेट	302.97		36.60	61.00			97.60	205.37
3	स्थानीय निकायों द्वारा अनुदान	200.00							200.00
4	भूमि लागत के सापेक्ष सब–ऑर्डिनेट डेट	423.53		51.00	85.00			136.00	287.53
5	राज्य करों हेतु राज्य सरकार द्वारा सहायता	505.67		60.00	101.00			161.00	344.67
(ख)	कुल	**2588.73**	100.00	286.20	478.00			864.20	1724.53
	महायोग (क+ख)	**8226.85**	**157.83**	**502.20**	**1600.00**			**2260.03**	**5966.82**

1.11.5 **गोरखपुर लाइट रेल ट्रांजिट (एल.आर.टी.)परियोजना**

- शासनादेश सं0–165/आठ–7–17–29 एल0डी0ए0/2013 दिनांक 03.04.2017 द्वारा गोरखपुर महानगर में पर्यावरण अनुकूल, सुलभ, सुरक्षित एवं सुविधाजनक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा मेट्रो रेल परियोजना के संचालन हेतु फिजिबिलिटी/डी0पी0आर0 एवं कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान तैयार कराने का निर्णय लिया गया।
- इस कार्य हेतु भारत सरकार की अनुभवी एवं विशेषज्ञ संस्था मेसर्स राइट्स को नामित किया गया तथा गोरखपुर विकास प्राधिकरण को नोडल विभाग तथा लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को समन्वयक बनाया गया।
- भारत सरकार द्वारा जारी नई मेट्रो रेल पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन के समन्वय से राइट्स द्वारा गोरखपुर महानगर हेतु कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान, ऑल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट तथा लाइट रेल ट्रांजिट (एल0आर0टी0) परियोजना हेतु डी0पी0आर0 माह मई, 2019 को तैयार कर प्रस्तुत किया गया है।
- उक्त डी0पी0आर0 को लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा दिनांक–11.06.2019 को राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया। दिनांक 30.08.2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कॉरिडोर्स में कतिपय संशोधन करने की अपेक्षा की गयी। जिस कम में संशोधित डी0पी0आर0 तैयार की गयी, जिसे राज्य सरकार को दिनांक–13.09.2019 को प्रेषित किया गया।
- पुनः माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक–03.01.2020 को आयोजित बैठक में डीपीआर में कुछ सुझाव प्रस्तावित किए गए। अपेक्षित परिवर्तनों को शामिल करते हुए

संशोधित डीपीआर 03.02.2020 को प्रस्तुत की गई है। राज्य सरकार से अनुमोदन के उपरान्त इसे भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा।

- संशोधित डी.पी.आर. के अनुसार परियोजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं–
  - परियोजना की कम्पलीशन लागत–4672.00 करोड़
  - परियोजना का ई0आई0आर0आर0–16.30 प्रतिशत
  - परियोजना का एफ0आई0आर0आर0–2.09 प्रतिशत
  - परियोजना की पूर्णता अवधि–4 वर्ष
  - कॉरिडोर्स का विवरण–परियोजना में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर प्रस्तावित हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है–

कोरिडोर का नाम	कोरिडोर की लम्बाई (किमी0)	स्टेशन की संख्या
श्याम नगर से मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज	15.14	14
बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज से नौसढ चौराहा	12.70	13

1.11.6 **मेरठ मेट्रो रेल परियोजना**

- नई मेट्रो रेल पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन के समन्वय से राइट्स द्वारा तैयार किये गये संशोधित डी.पी.आर. पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए इसे दिनांक 24.01.2019 को भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया।
- प्रथम चरण में मेरठ मेट्रो रेल परियोजना के अन्तर्गत श्रृद्धापुरी फेज़–2 से जागृति विहार एक्सटेन्शन तक कोरिडोर–2 का निर्माण किया जायेगा।
- परियोजना पर भारत सरकार का अनुमोदन अपेक्षित।
- परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 07.06.2019 को लिए गये निर्णय के क्रम में लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को पुनर्गठित करते हुए उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के गठन की प्रक्रिया दिनांक–23.10.2019 को पूर्ण की जा चुकी है।
- अनुपूरक डी.पी.आर. के अनुसार परियोजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं–
  - परियोजना की कम्पलीशन लागत–रू0 6403 करोड
  - परियोजना की पूर्णता अवधि–5 वर्ष
  - परियोजना का ई.आई.आर.आर.–14.32 प्रतिशत
  - परियोजना का एफ.आई.आर.आर.–9.55 प्रतिशत

➢ कॉरिडोर का विवरण–

कोरिडोर का नाम	कोरिडोर की लम्बाई (किमी0)			स्टेशन की संख्या		
	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल
श्रृद्धापुरी फेज़–2 से जागृति विहार एक्सटेन्शन	9.864	4.286	14.15	10	3	13

2 **विस्तृत विवरण, जिन पर प्राक्कलन आधारित हों। (व्यय की प्रमुख मदों का उल्लेख करते हुए उन तथ्यों का वर्णन किया जाए जिसके आधार पर प्रत्येक मद के लिए धनराशि का अनुमान आय–व्ययक में उल्लिखित है)।**

वित्तीय वर्ष 2021–22 में आयोजनागत परियोजनाओं हेतु पूँजी लेखा के अन्तर्गत रू. 349121.91 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नवत है:–

1 **सिविल सर्विसेज़ इन्स्टीट्यूट के टॉवर्स का निर्माण**

उक्त मद में आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु रू. 5000.00 लाख की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रश्नगत मद में वर्ष 2019–20 में कुल व्यय रू. शून्य लाख तथा वर्ष 2020–21 में रू. शून्य लाख हुआ है।

2 **लखनऊ विकास क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास सम्बन्धी कार्यों हेतु धनराशि की व्यवस्था (चालू कार्य)**

वित्तीय वर्ष 2021–22 में रु0 20000.00 लाख की बजट व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रश्नगत मद में वर्ष 2019–20 में कुल व्यय रू. 11960.00 लाख तथा वर्ष 2020–21 में रू. 4586.87 लाख हुआ है।

3 **लखनऊ विकास क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास सम्बन्धी कार्यों हेतु धनराशि की व्यवस्था (नये कार्य)**

नई परियोजनाओं हेतु सम्बन्धित मद में वित्तीय वर्ष 2021–22 में रु0 20000.00 लाख की बजट व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रश्नगत मद में वर्ष 2019–20 में कुल व्यय रू. 3491.95 लाख तथा वर्ष 2020–21 में रू. शून्य लाख हुआ है।

4 **गोमती नगर लखनऊ में जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना**

परियोजना की पुनः पुनरीक्षित लागत के आधार पर परियोजना को आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत तद्नुसार आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू. 4000.00 लाख की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। प्रश्नगत मद में वर्ष 2019–20 में कुल व्यय रू. शून्य लाख तथा वर्ष 2020–21 में रू. शून्य लाख हुआ है।

5 **संस्कृति स्कूल, लखनऊ का निर्माण**

		वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्वीकृति परियोजना के सापेक्ष कार्य को किये जाने हेतु रू0 4000.00 लाख की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। प्रश्नगत मद में वर्ष 2019–20 में कुल व्यय रू. शून्य लाख तथा वर्ष 2020–21 में रू. शून्य लाख हुआ है। 6 **गोरखपुर एवं वाराणसी मण्डल स्तर पर एकीकृत कार्यालय का निर्माण।** वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु रू. 5000.00 लाख की बजट व्यवस्था हेतु प्रस्ताव किया गया है। 7 **कानपुर मेट्रो रेल परियोजना** उक्त मद में वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू. 59700.00 लाख की बजट व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रश्नगत मद में वर्ष 2019–20 में कुल व्यय रू. 17500.00 लाख तथा वर्ष 2020–21 में रू. 35820.00 लाख हुआ है। 8 **वाराणसी, गोरखपुर एवं अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना** उक्त मद में वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू. 40000.00 लाख की बजट व्यवस्था पूँजी मद में किया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रश्नगत मद में वर्ष 2019–20 में कुल व्यय रू. शून्य लाख तथा वर्ष 2020–21 में रू. शून्य लाख हुआ है। 9 **आगरा मेट्रो रेल परियोजना** उक्त मद में वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू. 47800.00 लाख की बजट व्यवस्था पूँजी मद में किया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रश्नगत मद में वर्ष 2019–20 में कुल व्यय रू. 10000.00 लाख तथा वर्ष 2020–21 में रू. 18640.00 लाख हुआ है। 10 **दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांन्जिट सिस्टम परियोजना** उक्त मद में वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू. 132600.00 लाख की बजट व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रश्नगत मद में वर्ष 2019–20 में कुल व्यय रू. 40000.00 लाख तथा वर्ष 2020–21 में रू. 90000.00 लाख हुआ है। 11 **उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के भवन का निर्माण** उक्त मद में वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू. 2116.55 लाख की बजट व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रश्नगत मद में वर्ष 2019–20 में कुल व्यय रू. शून्य लाख तथा वर्ष 2020–21 में रू. शून्य लाख हुआ है। 12 **राज्य की राजधानी का विकास (लखनऊ में "राष्ट्र प्रेरणा स्थल" निर्माण कार्य)** उक्त मद में वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू. 5000.00 लाख की बजट व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रश्नगत मद में वर्ष 2019–20 में कुल व्यय रू. शून्य लाख तथा वर्ष 2020–21 में रू. शून्य लाख हुआ है। 13 **अयोध्या स्थित सूर्य कुन्ड में विकास कार्य** उक्त मद में वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू. 3790.00 लाख की बजट व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रश्नगत मद में वर्ष 2019–20 में कुल व्यय रू. शून्य लाख तथा वर्ष 2020–21 में रू. शून्य लाख हुआ है।
3	गत तीन वर्षों	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद एवं समस्त विकास प्राधिकरण तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ.प्र. द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 , 2020–21 तथा

	के अनुरूप आंकड़ों की तुलना में विभागीय कार्यों में विस्तार।	2021–22 में (विगत 03 वर्षों में) अर्जित आय एवं विकास/निर्माण पर व्यय का विवरण निम्नवत है :–

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	अर्जित आय (रू. लाख में)	निर्माण/विकास पर व्यय (रू. लाख में)
1.	2019–20	447550.43	282916.98
2.	2020–21	480329.81	231039.99
3.	2021–22	680030.26	250358.59

4	योजनाएं अथवा परियोजनाएं जिन्हें विभाग ग्रहण कर चुका है। (योजना का नाम तथा विवरण, व्यय के प्राक्कलन, अवधि जिसमें उसके पूरे होने की सम्भावना हो, उत्पादन यदि कोई हो, उन्नति जो अब तक हो चुकी हो, आदि बातें बतलाई जानी चाहिए।)	1 **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक ए.एच.पी.** • भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी) मिशन का शुभारम्भ दिनांक 25.06.2015 को किया गया है। मिशन के चार घटकों में से अफोर्डेबल– हाउसिंग–इन–पार्टनरशिप घटक के अन्तर्गत ई0डब्लू0एस0 भवन की लागत के सापेक्ष अनुमन्य अनुदान के लिए केन्द्रांश रू0 1.50 लाख तथा राज्यांश रू0 1.00 लाख निर्धारित किया गया है। अवशेष धनराशि का भुगतान लाभार्थी द्वारा किया जाना है। • अनुदान धनराशि का भुगतान 03 किश्तों (40%, 40% व 20%) में किया जाना है। • भवन का अधिकतम कारपेट क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर निर्धारित है तथा लागत पूर्व में अधिकतम रू. 4.50 लाख निर्धारित की गयी थी जिसे अब बढ़ाकर न्यूनतम रू.6.00 लाख (22.77 वर्ग मीटर कारपेट एरिया हेतु) कर दिया गया है। • उक्त योजना के अन्तर्गत भवन आवंटन हेतु पात्रता निम्न है:– ▪ लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय रू. 3.00 लाख तक होनी चाहिए। ▪ लाभार्थी परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पूरे भारतवर्ष में कहीं भी पक्का आवास नहीं होना चाहिये। ▪ लाभार्थी परिवार के किसी भी सदस्य को योजना के किसी अन्य घटक तथा पूर्व में किसी भी आवासीय योजना में भी नहीं मिला हो। ▪ लाभार्थी परिवार में पति–पत्नी एवं आश्रित बच्चे सम्मिलित है। • शासनादेश संख्या–986/आठ–1–18–80विविध/2010, दि0 26 जून, 2018 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग–इन–पार्टनरशिप मद के अन्तर्गत ई.डब्ल्यू.एस भवनों के निर्माण का लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किया गया था:–

क्र.स.	वित्तीय वर्ष	ई0डब्लू0एस0 भवनों की संख्या
1	2018–19	1 लाख 50 हजार
2	2019–20	2 लाख
3	2020–21	50 हजार

	कुल लक्ष्य	4.00 लाख

अद्यतन प्रगति विवरण

- अद्यतन अभिकरणों की 120 परियोजनाओं के सापेक्ष 113842 भवन एवं निजी विकासकर्ताओं की 30 परियोजनाओं के सापेक्ष 18786 भवनों की स्वीकृति सी0एस0एम0सी0 (भारत सरकार) द्वारा प्रदान की जा चुकी है (अर्थात् सी0एस0एम0सी0 द्वारा कुल 150 परियोजनाओं के सापेक्ष 132628 भवनों की स्वीकृति प्राप्त हैं)।
- 66 परियोजनाओं में 39105 भवनों का निर्माण कार्य विभिन्न स्तर पर प्रगति में है, तथा 750 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अब तक 25361 भवनों का आवंटन विभिन्न अभिकरणों द्वारा किया गया है।
- सी.एस.एम.सी. से स्वीकृत 150 परियोजनाओं के सापेक्ष अब तक 56 परियोजनाओं हेतु केन्द्रांश की प्रथम किश्त (40 प्रतिशत) धनराशि रू0 23019.40 लाख एवं 52 परियोजनाओं के राज्यांश की प्रथम किश्त (40 प्रतिशत) धनराशि रू0 14786.26 लाख विभिन्न अभिकरणों को अवमुक्त की गयी है। द्वितीय किश्त अवमुक्त किये जाने हेतु 29 पारियोजनाओं में से 10 परियोजनाओं में केन्द्रांश की आंशिक धनराशि रू0 3948.08 लाख तथा 09 परियोजनाओं में राज्यांश की आंशिक धनराशि रू0 2450.81 लाख अभिकरणों को अवमुक्त की गई है।

लक्ष्य के सापेक्ष कार्ययोजना

क्र. सं.	योजना का नाम	लक्ष्य (लाख)	प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्य (लाख में)				भवनों का निर्माण पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त धन की आवश्यकता (रू0 करोड़ में)
			तात्कालिक 31 मार्च 2020	अल्प कालिक 31 मार्च 2021	मध्य कालिक 31 मार्च 2022	दीर्घ कालिक 31 मार्च 2024	
1.	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) –ए.एच.पी.–	4.00	0.40	0.50	1.10	2.00	केन्द्रांश– 5730.325 राज्यांश– 3827.629

2 नगरीय परिवहन प्रणाली का विकास–मेट्रो परियोजनाएं (एक दृष्टि में)

- लखनऊ मेट्रो परियोजना फेज–1 का डी0पी0आर0 दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा वर्ष 2013 में तैयार किया गया था। इस परियोजना के प्राथमिक सेक्शन (ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक) का व्यवसायिक संचालन दिनांक 05.09.2017 को किया गया था। सम्पूर्ण परियोजना जिसकी लम्बाई 22.878 किमी0 (चौ0 चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया तक) पर व्यवसायिक संचालन दिनांक 08.03.2019 को प्रारम्भ् किया जा चुका है।
- कानपुर मेट्रो रेल परियोजना राज्य सरकार के अनुमोदन के उपरान्त जनवरी 2018 में भारत सरकार को उनके अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी थी। भारत सरकार के पत्र दिनांक 09.03.2019 द्वारा उपरोक्त परियोजना अनुमोदित करते हुए परियोजना की लागत रू0 11076 करोड़ अनुमोदित की गयी है। परियोजना की कुल लम्बाई 32.40 किमी0 है। परियोजना का कार्य 05 वर्ष में पूर्ण किया जाना है। इस परियोजना पर

दिनांक 15.11.2019 से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

- आगरा मेट्रो रेल परियोजना राज्य सरकार के अनुमोदन के उपरांत जनवरी 2018 में भारत सरकार को उनके अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी थी। भारत सरकार के पत्र दिनांक 09.03.2019 द्वारा उपरोक्त परियोजना अनुमोदित करते हुए परियोजना की लागत रूपये 8379 करोड़ अनुमोदित की गयी है। परियोजना की कुल लम्बाई 29.40 किमी0 है। परियोजना का कार्य 05 वर्ष में पूर्ण किया जाना है। इस परियोजना के कियान्वयन हेतु टी0टी0जेड क्षेत्र में मा0 उच्चतम न्यायालय के प्रभावी स्थगनादेश में दिनांक 14.07.2020 को शिथिलता प्रदान की गई है। इस परियोजना पर दिनांक 07.12.2020 से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
- दिलशाद गार्डेन (दिल्ली) से नया बस अड्डा (गाजियाबाद) तक मेट्रो रेल विस्तारीकरण की परियोजना का कार्य पूर्ण कराकर इसका व्यवसायिक संचालन दिनांक 08.03.2019 से प्रारम्भ किया जा चुका है। परियोजना की लागत 1780 करोड़ थी।
- गोरखपुर लाईट रेल ट्रांजिट परियोजना का डी0पी0आर0 राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर इसे केन्द्र सरकार को दिनांक 19.10.2020 को अग्रेतर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।
- लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज–1बी (ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर) के डी0पी0आर0 के गठन का कार्य पूर्ण तथा इसका अनुमोदन प्रकियाधीन है।
- प्रयागराज लाईट मेट्रो रेल परियोजना के डी0पी0आर0 तैयार किये जाने का कार्य प्रगति पर।

3 **क्षेत्रीय परिवहन प्रणाली का विकास–दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ रीज़नल रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आर.आर.टी.एस.)**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में द्रुत क्षेत्रीय परिवहन के माध्याम से समेकित गतिशीलता समाधान द्वारा भीड़–भाड़ व प्रदूषण को कम करने, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के अवसरों तक नागरिकों की पहुँच बढ़ाने व क्षेत्र के संतुलित व सतत् आर्थिक विकास को गति देने हेतु रीजनल रैपिड ट्रॉजिट सिस्टम (आर0आर0टी0एस0) के दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ कॉरीडोर परियोजना संचालित है, जिसका व्यवसायिक संचालन वर्ष 2025 में लक्षित है। दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आर0आर0टी0एस0 परियोजना की कुल लागत रू0 30274 करोड़ के सापेक्ष उत्तर प्रदेश सरकार की सहभागिता रू0 6048 करोड़ है। इस कॉरीडोर की कुल लम्बाई 82 किमी0 है, जिसमें 02 डिपो सहित 24 स्टेशन होंगे और मोदीपुरम से दिल्ली की दूरी लगभग 01 घंटे में पूरी की जायेगी। साहिबाबाद व दोहाई के बीच 17 किमी0 प्राथमिक सेक्शन पर वर्तमान में निर्माण कार्य त्वरित गति से किया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त इस परियोजना के माध्यम से मेरठ नगर में मेट्रो का भी एक कॉरीडोर विकसित किया जायेगा, जिसमें मेरठ में परतापुर से लेकर मोदीपुरम तक लगभग 22 किमी0 तक के कॉरीडोर पर स्थानीय परिवहन (मेट्रो सेवायें) प्रदान करने के लिए आर.आर.टी. एस. के आधारभूत ढांचे का उपयोग किया जायेगा।

4 **लैण्ड बैंक**

- वित्तीय वर्ष 2020–21 में उ. प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा समस्त विकास प्राधिकरणों द्वारा माह नवम्बर, 2021 तक पुर्नग्रहण सहित समस्त स्रोतों से कुल 81.45 हेक्टेयर भूमि अर्जित की गयी है तथा कुल 1154.56 हेक्टेयर भूमि की अर्जन की कार्यवाही प्रगति में है।

- करार नियमावली के अन्तर्गत आपसी समझौते के आधार पर प्रतिकर दर निर्धारित कर भूमि अधिग्रहण किये जाने हेतु दिशा–निदेश निर्गत किये गये हैं।

5 **सबके लिए आवास योजना**

- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत प्रदेश के विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा नगरीय क्षेत्र में आवासीय आवश्यकता की बढ़ी हुई मांग को लगातार पूर्ण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह नवम्बर, 2020 तक निर्मित/निर्माणाधीन आवासों का श्रेणीवार प्रगति विवरण निम्नवत् है:–

श्रेणी	निर्मित	निर्माणाधीन
1. दुर्बल आय वर्ग	77	2968
2. अल्प आय वर्ग	14	192
3. मध्यम आय वर्ग	296	744
4. उच्च आय वर्ग	01	89
योगः	388	3993

6 **हॉईटेक टाउनशिप नीति**

- प्रदेश में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से हाईटेक टाउनशिप के विकास हेतु शासनादेश संख्या–6087/9–आ–1–2003–34वि/03, दिनांक 22.11.2003 द्वारा हाईटेक टाउनशिप नीति जारी की गई थी। उक्त नीति को शासनादेश संख्या–3872/आठ–1–07–34वि/03, दिनांक 17.9.2007 द्वारा संशोधित करते हुए हाई–टेक टाउनशिप नीति, 2007 जारी की गई। हाई–टेक टाउनशिप नीति, 2003 के अधीन वर्ष 2005 में 10 हाई–टेक टाउनशिप तथा हाई–टेक टाउनशिप नीति, 2007 के अधीन वर्ष 2009 में 03 हाईटेक टाउनशिप के प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे। इस प्रकार प्रदेश के विभिन्न नगरों में कुल 13 हाईटेक टाउनशिप के प्रस्ताव अनुमोदित हैं। हाईटेक टाउनशिप नीति के क्रियान्वयन में उत्पन्न कठिनाइयों के निराकरण हेतु शासन द्वारा उक्त नीति में समय–समय पर कतिपय संशोधन किए गए हैं। कालान्तर में हाईटेक टाउनशिप नीति के अधीन चयनित विकासकर्ताओं को यथावत रखते हुए शासनादेश संख्या–यूओ 487/आठ–1–2009, दिनांक 27.01.2010 द्वारा हाईटेक टाउनशिप नीति को समाप्त कर दिया गया है।
- हाई–टेक टाउनशिप नीति के अधीन अनुमोदित कुल 13 परियोजनाओं में से 6 प्रारम्भ नहीं हो सकी हैं, जबकि 7 परियोजनाएं वर्तमान में कार्यशील हैं। कतिपय विकासकर्ताओं को नीति की व्यवस्थानुसार टाउनशिप के क्षेत्रफल में विस्तार अनुमन्य किया गया है, परन्तु उनके द्वारा आगे भूमि क्रय/जुटाव करना सम्भव नहीं हो रहा है और हाई–टेक टाउनशिप नीति/एम.ओ.यू. में निर्धारित शर्तों एवं टाईमलाइन्स के अनुसार विकास/निर्माण कार्यों को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। जिन किसानों/भू–स्वामियों की भूमि इन परियोजनाओं के अन्तर्गत शामिल है, वे भी इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।
- हाई–टेक टाउनशिप परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु दिनांक 13.8.2019 को मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की

अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति की बैठक में निम्न 6 निष्क्रिय परियोजनाओं के निरस्तीकरण का निर्णय लिया गया है:–

(1) मै. सहारा इंडिया कामर्शियल कारपोरेशन, लखनऊ
(2) मै. सहारा इंडिया कामर्शियल कारपोरेशन, कानपुर
(3) मै. रिवाज़ इन्फ्राटेक प्रा.लि., बुलन्दशहर
(4) मै. आई.वी.आर.सी.एल., नरसी, आगरा
(5) मै. यूनीटेक लिमिटेड, आगरा
(6) मै. यूनीटेक लिमिटेड, वाराणसी

- कार्यशील 7 हाई–टेक टाउनशिप परियोजनाओं की दिनांक 30.11.2019 तक की भौतिक प्रगति निम्नवत् है:–

विकासकर्ता कम्पनी का नाम	अनुमोदित क्षेत्रफल (एकड़)	विकासकर्ता द्वारा क्रय भूमि (एकड़)	विकास अनुबन्ध निष्पादित (एकड़)	विकास कार्यों की भौतिक प्रगति (प्रतिशत)	परियोजना पूर्ण करने की तिथि
1	2	3	4	5	6
(1) अंसल प्रापर्टीज, लखनऊ	6465.00	3362.29	3530.00	35.49	19.8.2020
(2) गर्व बिल्डटेक, लखनऊ	2700.00	750.00	722.18	6.70	20.10.2021
(3) उप्पल–चड्ढा, गाज़ियाबाद	4494.31	2866.99	4004.25	46.00	09.7.2019
(4) सनसिटी, गाज़ियाबाद	4312.99	671.00	717.94	2.78	04.11.2021
(5) सनसिटी, मथुरा	1500.00	431.00	575.00	7.00	26.5.2022
(6) उत्तम स्टील्स, बुलन्दशहर	2504.00	1060.00	1556.12	15.97	06.6.2014
(7) पंचम रियकॉन, प्रयागराज	1535.12	611.00	726.60	5.00	08.11.2020
योग–	23,511.42	9,752.28	11,832.09	–	–

स्त्रोतः–*सम्बन्धित विकास प्राधिकरण एवं आवास बन्धु की मासिक प्रगति समीक्षा रिपोर्ट नवम्बर–2020*

- योजनान्तर्गत कार्यशील निजी विकासकर्ताओं द्वारा कुल 1760 दुर्बल आय वर्ग के तथा 1696 अल्प आय वर्ग के भवन पूर्ण किये गये हैं तथा 4007 दुर्बल आय वर्ग के तथा 5784 अल्प आय वर्ग के भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

7 इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति

- एक 'सेल्फ–कन्टेन्ड' रूप में नियोजित एवं विकसित टाउनशिप, जिसके अन्तर्गत समस्त भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं सहित रहने, कार्य करने एवं मनोरंजन सुविधाओं का एकीकृत रूप से प्राविधान हो। इन्टीग्रेटेड टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ एवं विस्तार सहित अधिकतम क्षेत्रफल 500 एकड़ हो सकता है।
- इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति मूल रूप से शासनादेश संख्या–2711/आठ–1–05–34विविध/03 दिनांक 21.05.2005 द्वारा लागू की गयी थी, जिसमें कतिपय व्यवहारिक कठिनाईयां आने के कारण, शासनादेश संख्या–520/8–3–14–37विविध/13 दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा संशोधित की गयी है।
- वर्ष 2005 की नीति के अन्तर्गत कुल 33 निजी विकासकर्ताओं को लाईसेन्स निर्गत किये गये थे, किन्तु अधिकांश विकासकर्ता लाईसेन्स में निर्दिष्ट भूमि की एसेम्बली नहीं कर सके एवं तद्नुसार योजनाओं को भी पूर्ण नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त समस्याओं को विचार में रखते हुए संशोधित नीति–2014 में विभिन्न संशोधन कर इस योजना के संचालन हेतु समुचित प्राविधान किये गये हैं।

8 एक मुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0–2020)

- आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ0प्र0शासन के शासनादेश संख्या–8/2020/278/आठ–1/20–01विविध/2000 दिनांक 07 फरवरी, 2020 द्वारा वन–टाईम सेटेलमेंट योजना (ओ.टी.एस. योजना) 2020 दिनांक 05.06.2020 तक लागू की गयी, जिसे कालान्तर में दिनांक 30.09.2020 एवं पुनः दिनांक 31.12.2020 तक बढ़ाया गया।
- शासनादेश संख्या–39/2020/879/आठ–1–20–01विविध/2000 दिनांक 06 अगस्त, 2020 द्वारा कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत इस योजना के कतिपय प्राविधानों में संशोधन किये गये।
- योजना की दिनांक 28.12.2020 तक अध्यावधिक प्रगति का विवरण निम्नवत् हैः–

प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	निस्तारित आवेदन पत्रों की संख्या	कुल मांग धनराशि (रू.करोड़)	कुल जमा धनराशि (रू.करोड़)
13304	11197	1788.02	274.35

		9 जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित सेवाओं को आनलाईन किया जाना। जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत कुल 8 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। जनहित गारण्टी की 07 सेवाएं (सम्पत्ति नामान्तण, सम्पत्ति का पंजीकरण, आवंटी द्वारा जमा धनराशि की वापसी, नजूल भूमि छोड़कर शेष भवन भूखण्डों को फ्री होल्ड करना, आदेशों की डुप्लीकेट प्रति प्राप्त करना एवं भवन मानचित्र स्वीकृत) को ऑनलाईन कर दिया गया है। 01 सेवा जो शमन से सम्बन्धित है, वह प्रक्रियाधीन है। **10 अभिकरणों द्वारा निर्मित/विकसित सम्पत्तियों का आनलाइन किया जाना** समस्त अभिकरणों द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की भांति अपनी सम्पत्तियों का विवरण अनिवार्य रूप से आन–लाइन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अधिकांश अभिकरणों द्वारा अपनी सम्पत्तियों का विवरण अभिकरण की वेबसाइट पर ऑन–लाइन कर दिया गया है। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विभिन्न विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत 652 योजनाओं को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 569 योजनाओं में आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण ऑन लाईन किया जा चुका है, जबकि अवशेष 83 योजनाओं में सम्पत्तियों को ऑन लाईन किये जाने का कार्य प्रगति पर है। **11. वादों के निस्तारण की ऑनलाईन व्यवस्था** • उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों तथा उ0प्र0 (विशेष प्राधिकरण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में योजित वादों हेतु कम्पयूटरीकृत प्रणाली एन.आई.सी. के माध्यम से विकासित करायी जा रही है। उक्त एप्लीकेशन के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैः– ➢ प्राप्त किये जाने वाले वादों को ऑन–लाइन योजित करना ➢ तारीख देना ➢ वादी–प्रतिवादी के साक्ष्यों/अभिलेखों को प्राप्त करना ➢ नोटिस निर्गत करना ➢ वाद में पारित आदेश 'अपलोड' किया जाना
5	योजना के प्राविधानों एवं लक्ष्यों के विपरीत वित्तीय एवं भौतिक "निष्पादन" की समीक्षा तथा चालू वर्ष एवं	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के बजट प्राविधान के सापेक्ष वर्षवार वास्तविक व्यय की सूचना निम्नवत है :– **वित्तीय वर्ष 2019–20 से सम्बन्धित सूचना–** (रू. लाख में)

क. सं.	मद	वास्तविक व्यय 2019–20		
		राजस्व	पूँजी	योग
1	अर्न्तराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान उत्तर प्रदेश	209.04		209.04

	योजना के शेष वर्षों के लिए पूर्वानुमान।	2	स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवन आदि की प्रवन्धन सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति के कार्मिकों के लिए वेतन–भत्ते, आदि	18000.00		18000.00
		3	सिविल सर्विसेज इन्स्टीट्यूट के ट्रॉजिट हॉस्टल का रखरखाव	145.00		145.00
		4	लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (चालू कार्य)		11960.06	11960.06
		5	लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरशन को भूमि हेतु सवआर्डिनेट ऋण		1695.00	1695.00
		6	लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (नए कार्य)		3491.95	3491.95
		7	उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण	600.00		600.00
		8	कानपुर मेट्रो रेल परियोजना (अंश पूँजी विनियोजन)		17500.00	17500.00
		9	आगरा मेट्रो रेल परियोजना (अश पूँजी विनियोजन)		10000.00	10000.00
		10	दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रॉजिट सिस्टम परियोजना		40000.00	40000.00
		11	संस्कृति स्कूल के संचालन हेतु सी.एस.आई. एजूकेशनल सोसायटी को अनुदान	131.00		131.00
			योग	**19085.04**	**84647.01**	**103732.05**

वित्तीय वर्ष 2020–21 से सम्बन्धित सूचना–

(रू. लाख में)

क्र. सं.	मद	वास्तविक व्यय 2020–21		
		राजस्व	पूँजी	योग
1	अर्न्तराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान उत्तर प्रदेश	178.71		178.71
2	स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवन आदि की प्रवन्धन सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति के कार्मिकों के लिए वेतन–भत्ते, आदि	24948.79		24948.79
3	सिविल सर्विसेज इन्स्टीट्यूट के ट्रॉजिट हॉस्टल का रख रखाव	125.00		125.00
4	लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (चालू कार्य)		4586.87	4586.87

5	उ.प्र. भू–सम्पदा अपीलीय प्राधिकरण सहायता अनुदान (वेतन/गैर वेतन)	400.00		400.00
6	उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (वेतन/गैर वेतन)	950.00		950.00
7	कानपुर मेट्रो रेल परियोजना (अंश पूँजी विनियोजन)		18720.00	18720.00
8	कानपुर मेट्रो रेल परियोजना (केन्द्रीय करों का भुगतान)		4860.00	4860.00
9	कानपुर मेट्रो रेल परियोजना (सव–आर्डिनेट ऋण)		4200.00	4200.00
10	कानपुर मेट्रो रेल परियोजना (राज्य के करों के भुगतान हेतु ऋण)		8040.00	8040.00
11	आगरा मेट्रो रेल परियोजना (अश पूँजी विनियोजन)		13860.00	13860.00
12	आगरा मेट्रो रेल परियोजना (केन्द्रीय करों का भुगतान)		3660.00	3660.00
13	आगरा मेट्रो रेल परियोजना (सव–आर्डिनेट ऋण)		5100.00	5100.00
14	आगरा मेट्रो रेल परियोजना (राज्य के करों के भुगतान हेतु ऋण)		6000.00	6000.00
15	दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रॉजिट सिस्टम परियोजना		90000.00	90000.00
16	संस्कृति स्कूल के संचालन हेतु सी.एस.आई. एजूकेशनल सोसायटी को अनुदान	111.00		111.00
	योग	**26713.50**	**159026.87**	**185740.37**

वित्तीय वर्ष 2021–22 से सम्बन्धित सूचना–

(रू. लाख में)

क्र. सं.	मद	वास्तविक व्यय 2021–22		
		राजस्व	पूँजी	योग
1	स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवन आदि की प्रबन्धन सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति के कार्मिकों के लिए वेतन–भत्ते, आदि	18107.65	0.00	18107.65
2	सिविल सर्विसेज इन्स्टीट्यूट के ट्रॉजिट हॉस्टल का रख रखाव	252.44	0.00	252.44
3	लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (चालू कार्य)	0.00	3886.86	3886.86
4	लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (नए कार्य)	0.00	379.63	379.63
5	उ.प्र. भू–सम्पदा अपीलीय प्राधिकरण सहायता अनुदान (वेतन/गैर वेतन)	345.49	0.00	345.49

		6	उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (वेतन/गैर वेतन)	986.00	0.00	986.00
		7	कानपुर मेट्रो रेल परियोजना (अंश पूँजी विनियोजन)	0.00	31200.00	31200.00
		8	कानपुर मेट्रो रेल परियोजना (केन्द्रीय करों का भुगतान)	0.00	8100.00	8100.00
		9	कानपुर मेट्रो रेल परियोजना (सब–आर्डिनेट ऋण)	0.00	7000.00	7000.00
		10	कानपुर मेट्रो रेल परियोजना (राज्य के करों के भुगतान हेतु ऋण)	0.00	13400.00	13400.00
		11	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग अधिष्ठान मोटर गाडियों का कय	0.00	8.14	8.14
		12	आगरा मेट्रो रेल परियोजना (अश पूँजी विनियोजन)	0.00	23100.00	23100.00
		13	आगरा मेट्रो रेल परियोजना (केन्द्रीय करों का भुगतान)	0.00	6100.00	6100.00
		14	आगरा मेट्रो रेल परियोजना (सब–आर्डिनेट ऋण)	0.00	8500.00	8500.00
		15	आगरा मेट्रो रेल परियोजना (राज्य के करों के भुगतान हेतु ऋण)	0.00	10100.00	10100.00
		16	दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रॉजिट सिस्टम परियोजना	0.00	57000.00	57000.00
		17	संस्कृति स्कूल के संचालन हेतु सी.एस.आई. एजूकेशनल सोसायटी को अनुदान	111.00	0.00	111.00
		18	अयोध्या व अन्य का सर्वांगीण विकास एवं व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भ्रगतान तथा वृहद निर्माण कार्य।	1239.97	2115.59	3355.56
		19	अयोध्या स्थित सूर्यकुंड का विकास वृहद निर्माण कार्य।	0.00	100.00	100.00
		20	राज्य की राजधानी का विकास–लखनऊ में "राष्ट्र प्रेरणा स्थल" का निर्माण	0.00	100.00	100.00
			योग	21042.55	171090.22	192132.77

6 पूर्वगामी तीन वर्षों के मूल आय–व्ययक अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान तथा वास्तविक व्यय जो प्राक्कलनों के प्रत्येक उपशीर्षक के अन्तर्गत किया गया हो तथा उनमें भिन्नता, यदि कोई हो, के कारण।

पूर्वगामी तीन वर्षों के मूल आय–व्ययक अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान तथा वास्तविक व्यय जो प्राक्कलनों के प्रत्येक उपशीर्षक के अन्तर्गत किया गया हो, का विवरण निम्नवत् है:–

वित्तीय वर्ष 2019–20

(रु. लाख में)

क्र. सं.	मद			आय–व्ययक अनुमान 2019–20			पुनरीक्षित अनुमान 2019–20			वास्तविक व्यय वर्ष 2019–20		
				राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग
1	2			6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	2029–भू–राजस्व		150.53	-	150.53	139.62	-	139.62	119.83	-	119.83
2	2	2049–व्याज अदायगियाँ		45.22	-	45.22	45.22	-	45.22	45.21	-	45.21
3	2	2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें		939.02	-	939.02	865.52	-	865.52	932.51	-	932.51
4	2	2202–सामान्य शिक्षा		222.00	-	222.00	199.80	-	199.80	131.00	-	131.00

5	2	2205–कला एवं संस्कृति	237.60	-	237.60	220.60	-	220.60	209.04	-	209.04
6	2	2217–शहरी विकास	30134.59	-	30134.59	29847.15	-	29847.15	21466.79	-	21466.79
7	2	3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	663.64	-	663.64	618.89	-	618.89	543.37	-	543.37
8	2	4202–शिक्षा, खेल –कूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत् परिव्यय	-	8000.00	8000.00	-	7360.00	7360.00	00.00	-	00.00
9	2	4216–आवास पर पूँजीगत परिव्यय	-	1334.00	1334.00	-	1227.28	1227.28	00.00	-	00.00
10	2	4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	-	120000.00	120000.00	-	117600.00	117600.00	-	82952.01	82952.01
11	2	4250–अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	-	12.00	12.00	-	12.00	12.00	-	00.00	00.00
12	2	6003–राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	-	207.28	207.28	-	207.28	207.28	-	207.28	207.28
13	2	6217–शहरी विकास के लिए कर्ज	-	1695.00	1695.00	-	1695.00	1695.00	-	1695.00	1695.00
कुल योग			**32392.60**	**131248.28**	**163640.88**	**31936.80**	**128101.56**	**160038.36**	**23447.75**	**84854.29**	**108302.04**

वित्तीय वर्ष 2020–21

(रु. लाख में)

क्र. सं.	मद		आय–व्ययक अनुमान 2020–21			पुनरीक्षित अनुमान 2020–21			वास्तविक व्यय वर्ष 2020–21		
			राजस्व	पूँजी	योग	राजस्व	पूँजी	योग	राजस्व	पूँजी	योग
1	2		6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	2029–भू–राजस्व	160.08		160.08	123.12	-	123.12	183.92	-	183.92
2	2	2049–ब्याज अदायगियॉ	24.67	-	24.67	24.67	-	24.67	24.66	-	24.66
3	2	2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें	1006.03	-	1006.03	758.13	-	758.13	763.59	-	763.59
4	2	2202–सामान्य शिक्षा	111.00	-	111.00	99.90	-	99.90	111.00	-	111.00

5	2	2205–कला एवं संस्कृति	242.00	-	242.00	213.91	-	213.91	178.71	-	178.71
6	2	2216–आवास	00.00	-	00.00	00.00	-	00.00	00.00	-	00.00
7	2	2217–शहरी विकास	43549.80	-	43549.80	37677.93	-	37677.93	28850.10	-	28850.10
8	2	3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	643.24	-	643.24	488.94	-	488.94	387.56	-	387.56
9	2	4202–शिक्षा, खेल –कूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत् परिव्यय	-	6000.00	6000.00	-	5160.00	5160.00	00.00	-	00.00
10	2	4216–आवास पर पूँजीगत परिव्यय	-	2500.00	2500.00	-	2150.00	2150.00	00.00	-	00.00
11	2	4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	-	152580.00	152580.00	-	116960.80	116960.80	-	127166.87	127166.87
12	2	4250–अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	-	12.00	12.00	-	12.00	12.00	-	00.00	00.00
13	2	6003–राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	-	153.84	153.84	-	153.84	153.84	-	153.84	153.84
14	2	6217–शहरी विकास के लिए कर्ज	-	31860.00	31860.00	-	31860.00	31860.00	-	31860.00	31860.00
कुल योग			**45736.82**	**193105.84**	**238842.66**	**39386.60**	**156296.64**	**195683.24**	**30499.54**	**159180.71**	**189680.25**

वित्तीय वर्ष 2021–22

(रु. लाख में)

क. सं.	मद		आय–व्ययक अनुमान 2021–22			पुनरीक्षित अनुमान 2021–22			वातविक व्यय वर्ष 2021–22		
			राजस्व	पूँजी	योग	राजस्व	पूँजी	योग	राजस्व	पूँजी	योग
1	2		6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	2029–भू–राजस्व	168.91	-	168.91	138.37	-	138.37	136.18	-	136.18
2	2	2049–ब्याज अदायगियॉ	9.66	-	9.66	9.66	-	9.66	9.66	-	9.66
3	2	2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें	1042.72	-	1042.72	842.08	-	842.08	729.52	-	729.52
4	2	2202–सामान्य शिक्षा	111.00	-	111.00	104.92	-	104.92	111.00	-	111.00
	2	2205–कला एवं संस्कृति	00.00	-	00.00	00.00	-	00.00	00.00	-	00.00
5	2	2216–आवास	00.00	-	00.00	00.00	-	00.00	00.00	-	00.00
6	2	2217–शहरी विकास	47713.09	-	47713.09	41266.37	-	41266.37	23350.68	-	23350.68
7	2	3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	406.59	-	406.59	334.43	-	334.43	365.63	-	365.63
8	2	4202–शिक्षा, खेल –कूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत् परिव्यय	-	6000.00	6000.00	-	4800.00	4800.00	00.00	-	00.00

		9	2	4216–आवास पर पूँजीगत परिव्यय	-	2500.00	2500.00	-	2000.00	2000.00	00.00	-	00.00
		10	2	4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	-	223900.00	223900.00	-	218500.00	218500.00	-	117882.08	117882.08
		11	2	4250–अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	-	12.00	12.00	-	12.00	12.00	-	8.14	8.14
		12	2	6003–राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	-	115.36	115.36	-	115.36	115.36	-	115.36	115.36
		13	2	6217–शहरी विकास के लिए कर्ज	-	53200.00	53200.00	-	53200.00	53200.00	-	53200.00	53200.00
		कुल योग			**49451.97**	**285727.36**	**335179.33**	**42695.83**	**278627.36**	**321323.19**	**24702.67**	**171205.58**	**195908.25**

7	प्रतिवेदन, यदि कोई हो, जो विभाग ने अपने कार्य के विषय में निर्गत किया हो।	कोई नहीं।

पत्रावली संख्या–107विविध/2017
दिनांकः–24-12-2024

25.12.24
23/12/24

(पी0 गुरूप्रसाद)
प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

परिशिष्ट–1

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग , उत्तर प्रदेश का संगठनात्मक ढांचा

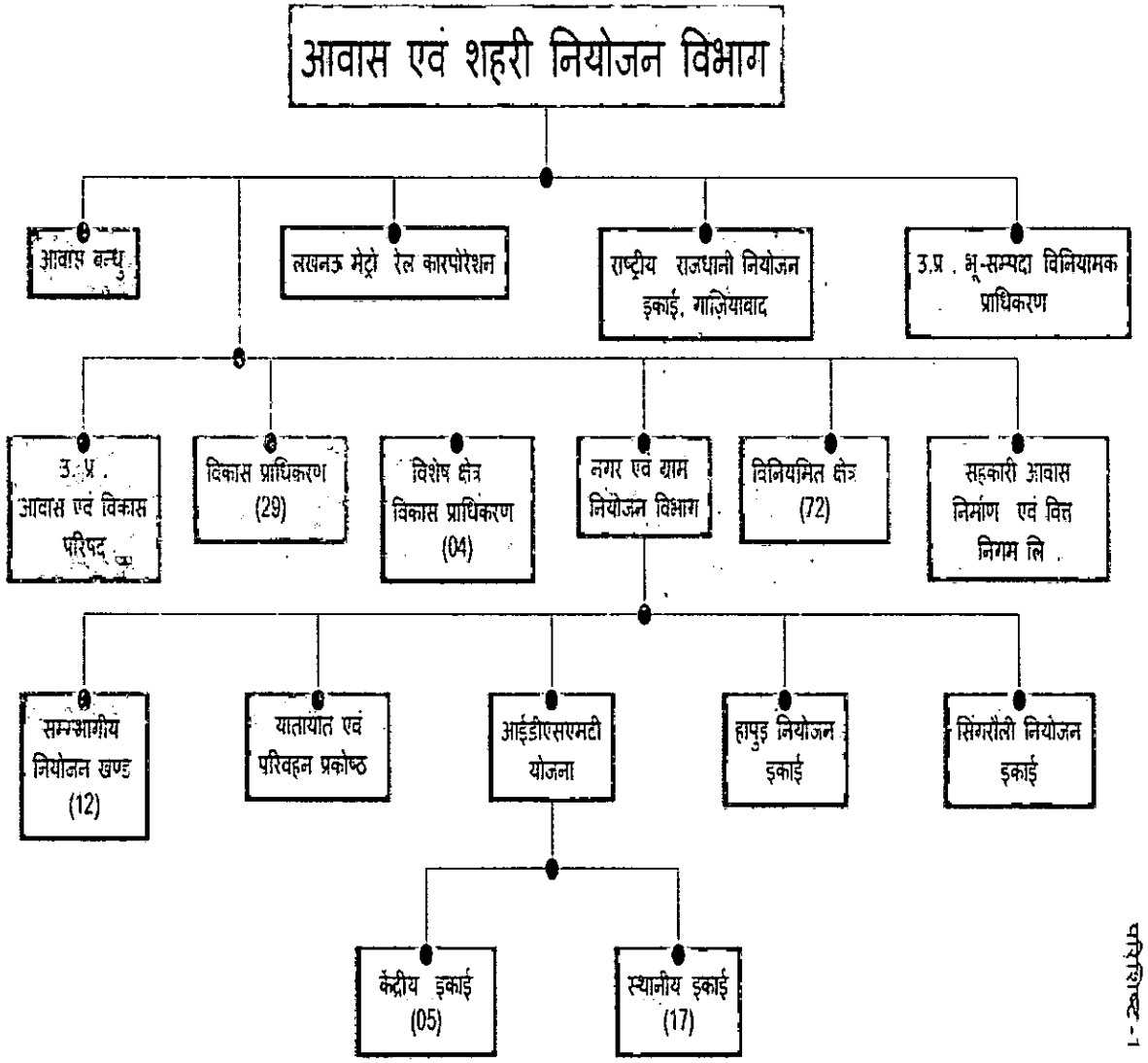

परिशिष्ट–2

विनियमित क्षेत्रों की सूची

क्र.सं.	विनियमित क्षेत्र का नाम	घोषित किए जाने की अधिसूचना संख्या एवं तिथि
1.	भरथना, जनपद–इटावा	संख्या–1360/9–आ–3–92–6 आर.ए./92 दिनांकः 30 जुलाई, 1992
2.	इटावा, जनपद–इटावा	संख्या–1015/37–3–86–5 आर.ए./84 दिनांकः 25 जून, 1986
3.	सैफई, जनपद–इटावा	संख्या–1188/9–आ–3–95–4आर.ए./95 दिनांकः 28 मार्च, 1995
4.	फर्रूखाबाद–फतेहगढ़, जनपद–फर्रूखाबाद	संख्या–2793/37–3–164 एन.के.वी./78 दिनांकः 01फरवरी, 1981
5.	संकिसा, जनपद–फर्रूखाबाद	संख्या–1922/9–आ–3–97–1आर.ए./97 दिनांकः 19 जुलाई, 1997
6.	कन्नौज, जनपद–कन्नौज	संख्या–2299/37–3–86–1आर.ए./85 दिनांकः 31 अगस्त, 1986
7.	औरैया, जनपद–औरेया	संख्या–2989/9–आ–3–2002–1आर.ए./98 दिनांकः 28 सितम्बर, 2002
8	हरदोई, जनपद–हरदोई	संख्या–68/37–3–86–5 एन.के.वी./82 दिनांकः 28 जून, 1986
9.	सण्डीला, जनपद–हरदोई	संख्या–2498/9–आ–3–97–7 आर.ए./95 दिनांकः 31 मार्च, 1998
10.	लखीमपुर खीरी, जनपद–लखीमपुर	संख्या–4159/9–आ–3–91–9 आर.ए./91 दिनांकः 16 मार्च, 1992
11.	बिसवॉ, जनपद–सीतापुर	संख्या–200/37–3–87–6 आर.ए.–86 दिनांकः 01 मई, 1987
12.	सीतापुर, जनपद–सीतापुर	संख्या–611/9–आ–3–92–2 आर.ए.–91 दिनांकः 27 जून, 1992
13.	गाजीपुर, जनपद–गाजीपुर	संख्या–408/37–3–85/6 1आर.ए./83 दिनांकः 26 अप्रैल, 1985
14.	जौनपुर, जनपद–जौनपुर	संख्या–4292/37–3–173–एन.के.वी./72 दिनांकः 07 अप्रैल, 1973
15.	शाहगंज, जनपद–जौनपुर	संख्या–5155/9–आ–3–2002–6 आर.ए./20023 दिनांकः 28 मार्च, 2003
16.	दयालबाग, जनपद–आगरा	संख्या–1967/37–3–65–नि.का.वी./75 दिनांकः 12 सितम्बर, 1978
17.	एटा, जनपद–एटा	संख्या–4205/37–3–82–1एन.के.वि./82 दिनांकः 30 दिसम्बर, 1982
18.	कासगंज, जनपद–एटा	संख्या–4203/37–3–2 एन.के.वि./82 दिनांकः 27 दिसम्बर, 1982
19.	मैनपुरी, जनपद–मैनपुरी	संख्या–3150/37–3–84/–67 एन.के.वी./82 दिनांकः 18 जून, 1984
20.	हाथरस, जनपद–हाथरस	संख्या–236/37–3–83–81एन.के.वी.–81 दिनांकः 15 सितम्बर, 1983
21.	मंगलायतन, जनपद–अलीगढ़	संख्या–4313/9–आ–3–2004–3 आर.ए./2004 दिनांकः 01 नवम्बर, 2004
22.	फतेहपुर, जनपद–फतेहपुर	संख्या–1939/37–3–86–2 आर.ए./84 दिनांकः 25 जून, 1998
23.	बेला प्रतापगढ़, जनपद–प्रतापगढ़	संख्या–3991/9–आ–3–91–11 आर.ए./91 दिनांकः 16 मार्च, 1992
24.	मंझनपुर–भरवारी, जनपद–कौशांबी	संख्या–2119/9–आ–3–2001–4 आर.ए./97 दिनांकः 12 जुलाई, 2001

25.	बबराला, जनपद–सम्भल	संख्या–573/37–3–89–4 आर.ए./88 दिनांकः 21 फरवरी, 1989
26.	बदायूँ, जनपद–बदायूँ	संख्या–2157/37–3–86–3 एन.के.वी./ 82 दिनांकः 08 दिसम्बर, 1996
27.	ऑवला, जनपद–बरेली	संख्या–3884/9–आ–3–96–6 आर.ए./96 दिनांकः 07 जनवरी, 1997
28.	पीलीभीत, जनपद–पीलीभीत	संख्या–1027/37–3–86–7आर.ए./84 दिनांकः 28 जून, 1986
29.	शाहजहॉपुर, जनपद–शाहजहॉपुर	संख्या–3518/37–3–59 नि.का.वि./79 दिनांकः 31 जुलाई, 1982
30.	तिलहर, जनपद–शाहजहॉपुर	संख्या–1310/9–आ–3–95–3 आर.ए./94 दिनांकः 29 दिसम्बर, 1995
31.	नरौरा, जनपद–बुलन्दशहर	संख्या–2900/37–3–21(6)–6367 दिनांकः 22 दिसम्बर, 1976
32.	नौगढ़, जनपद–सिद्धार्थनगर	संख्या–4206/37–3–133–नि.का.वि.–78 दिनांकः 15 नवम्बर, 1978
33.	बिजनौर, जनपद–बिजनौर	संख्या–1405/9–आ–3–93–1आर.ए./84 दिनांकः 21 अगस्त, 1993
34.	चॉदपुर, जनपद–बिजनौर	संख्या–2563/9–आ–3–94–2आर.ए./91 दिनांकः 07 अप्रैल, 1995
35.	धामपुर, जनपद--बिजनौर	संख्या–340/9–आ–3–92–10 आर.ए./91 दिनांकः 04 जून, 1992
36	नगीना, जनपद–बिजनौर	संख्या–2465/9–आ–3–94–5 आर.ए./93 दिनांकः 20 अक्टूबर, 1994
37	नजीबाबाद, जनपद--बिजनौर	संख्या–1899/9–आ–3–94–5 आर.ए./91 दिनांकः 09 नवम्बर, 1994
38.	अमरोहा, जनपद–अमरोहा	संख्या–763(9)/9–आ–3–92–7आर.ए./91 दिनांकः 30 मई, 1992
39.	चन्दौसी, जनपद–सम्भल	संख्या–2079/9–आ–3–94–8 आर.ए./93 दिनांकः 25 नवम्बर, 1994
40.	सम्भल, जनपद–सम्भल	संख्या–763/9–आ–3–92–7 आर.ए./91 दिनांकः 30 मई, 1998
41.	कोंच, जनपद–जालौन	संख्या–1005/9–आ–3–94–1आर.ए./92 दिनांकः 22 सितम्बर, 1994
42.	ललितपुर, जनपद–ललितपुर	संख्या–560/9–आ–3–91–2आर.ए./90 दिनांकः 15 अप्रैल, 1991
43.	हमीरपुर, जनपद–हमीरपुर	संख्या–2647/9–आ–3–2002–1आर.ए./2002 दिनांकः 18 जनवरी, 2003
44.	टाण्डा, जनपद–अम्बेडकरनगर	संख्या–488/9–आ–3–92–3 आर.ए./92 दिनांकः 04 जून, 1992
45.	बाराबंकी, जनपद–बाराबंकी	संख्या–597/37–3–86–4आर.ए./84 दिनांकः 21 जुलाई, 1986
46.	रूदौली, जनपद–अयोध्या	संख्या–1117/9–आ–3–97–1आर.ए./95 दिनांकः 12 जनवरी, 1998
47.	अमेठी, जनपद–सुल्तानपुर	संख्या–2133/37–3–83–59एन.के.वी./82 दिनांकः 11 अगस्त, 1983
48.	सुल्तानपुर, जनपद–सुल्तानपुर	संख्या–3312/37–3–86/5 आर.ए./86 दिनांकः 28 फरवरी, 1987
49.	जगदीशपुर, जनपद–सुल्तानपुर	संख्या–361/9–आ–3–96–3 आर.ए./1995 दिनांकः 22 जुलाई, 1996
50.	देवरिया, जनपद–देवरिया	संख्या–6591/37–3–68–एन.के.वी/77 दिनांकः 04 जुलाई, 1978
51.	पडरौना, जनपद–कुशीनगर	संख्या–2343/9–आ–3–96–2आर.ए./85 दिनांकः 03 जुलाई, 1996

52.	आनन्दनगर, जनपद–महराजगंज	संख्या–1984/9–आ–3–94–7आर.ए./92 दिनांकः 14 जुलाई, 1995
53.	महराजगंज, जनपद–महराजगंज	संख्या–3685/9–आ–3–92–4 आर.ए./90 दिनांकः 23 नवम्बर, 1992
54.	नौतनवॉ, जनपद–महराजगंज	संख्या–1147/37–3–52नि.का.वि./78 दिनांकः 28 अगस्त, 1978
55.	सिसवॉ बाजार, जनपद–महराजगंज	संख्या–1983/9–आ–3–94–7आर.ए./92 दिनांकः 14 जुलाई, 1995
56.	बलिया, जनपद–बलिया	संख्या–112/37–3–86–4आर.ए./83 दिनांकः 31 मार्च, 1986
57.	इब्राहीमपट्टी, जनपद–बलिया	संख्या–669/9–आ–3–91–1आर.ए./91 दिनांकः 26 फरवरी, 1991
58.	घोसी, जनपद–मऊ	संख्या–2065(6)/9–आ–3–94–10 आर.ए./92 दिनांकः 29 नवम्बर, 1994
59.	कोपागंज, जनपद–मऊ	संख्या–2065/9–आ–3–94–10 आर.ए./92 दिनांकः 29 नवम्बर, 1991
60.	मऊनाथ भॅजन, जनपद–मऊ	संख्या–2776/9–आ–3–96–3आर.ए./86 दिनांकः 04 जुलाई, 1996
61.	कालिंजर, जनपद–बांदा	संख्या–2235/37–3–82नि.का.वि./76 दिनांकः 13 जुलाई, 1978
62.	राजापुर, जनपद–चित्रकूट	संख्या–3671/37–3–81नि.का.वि./78 दिनांकः 27 अगस्त, 1978
63.	चरखारी, जनपद–महोबा	संख्या–473/37–3–53/एन.के.वी./77 दिनांकः 03 मार्च, 1981
64.	महोबा, जनपद–महोबा	संख्या–6247/37–3–52–नि.का.वि./77 दिनांकः 11 अगस्त, 1978
65.	देवबन्द, जनपद–सहारनपुर	संख्या–2136/9–आ–3–94–13आर.ए./92 दिनांकः 26 नवम्बर, 1994
66.	गोपीगंज–ज्ञानपुर, जनपद–भदोही	संख्या–2540/9–आ–3–आर.ए./96 दिनांकः 30 मई, 1998
67.	राबर्टसगंज, जनपद–सोनभद्र	संख्या–2405/9–आ–3–2002–4आर.ए./2000 दिनांकः 18 फरवरी, 2003
68.	मगहर–खलीलाबाद, जनपद–संतकबीरनगर	संख्या–306/37–3–87–1–आर.ए./87 दिनांकः 15 जुलाई, 1987
69.	बहराइच, जनपद–बहराइच	संख्या–2997/37–3–77एन.के.वी./1981 दिनांकः 23 जून, 1982
70.	बलरामपुर, जनपद–बलरामपुर	संख्या–1204/9–आ–3–92–2आर.ए./92 दिनांकः 20 अगस्त, 1992
71.	गोण्डा, जनपद–गोण्डा	संख्या–190/नौ–आ–3–93–2–आर.ए./88 दिनांकः 23 मार्च, 1993
72.	श्रावस्ती, जनपद–श्रावस्ती	संख्या–2640/37–84/119एन.के.वी./78 दिनांकः 26 जुलाई, 1984

विकास प्राधिकरणों की सूची

क्र.सं.	विकास प्राधिकरण	गठन की तिथि
1	वाराणसी विकास प्राधिकरण	19.08.1974
2	प्रयागराज विकास प्राधिकरण	19.08.1974
3	कानपुर विकास प्राधिकरण	13.09.1974
4	लखनऊ विकास प्राधिकरण	13.09.1974
5	आगरा विकास प्राधिकरण	13.09.1974
6	मेरठ विकास प्राधिकरण	03.11.1976
7	गोरखपुर विकास प्राधिकरण	05.11.1976
8	रायबरेली विकास प्राधिकरण	02.12.1976
9	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	09.03.1977
10	मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण	25.03.1977
11	बरेली विकास प्राधिकरण	19.04.1977
12	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	29.03.1981
13	अलीगढ़ विकास प्राधिकरण	21.12.1981
14	बांदा विकास प्राधिकरण	24.12.1981
15	उन्नाव–शुक्लागंज विकास प्राधिकरण	07.12.1983
16	झाँसी विकास प्राधिकरण	12.10.1984
17	अयोध्या विकास प्राधिकरण	02.11.1985
18	फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण	07.04.1995
19	सहारनपुर विकास प्राधिकरण	03.05.1995

20	हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण	21.11.1996
21	मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण	21.11.1996
22	रामपुर विकास प्राधिकरण	15.04.2005
23	उरई विकास प्राधिकरण	21.06.2006
24	बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण	08.02.2008
25	खुर्जा विकास प्राधिकरण	08.02.2008
26	बागपत–बड़ौत–खेकड़ा विकास प्राधिकरण	11.06.2008
27	आजमगढ़ विकास प्राधिकरण	20.06.2008
28	बस्ती विकास प्राधिकरण	28.10.2016
29	मीरजापुर--विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण	16.08.2018

परिशिष्ट–4

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की सूची

क्र.सं.	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	गठन की तिथि
1	कपिलवस्तु विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	26.02.1988
2	चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	18.03.1988
3	शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	05.07.1997
4	कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	04.06.2003

परिशिष्ट–5

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के सम्भागीय कार्यालयों की सूची

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	क्र.सं.	कार्यालय का नाम
1	कानपुर सम्भागीय नियोजन खण्ड, विकास प्राधिकरण भवन, मोती झील, कानपुर	7	बरेली सम्भागीय नियोजन खण्ड, जी–13, रामपुर बाग, सिविल लाइन्स, बरेली
2	लखनऊ सम्भागीय नियोजन खण्ड, शापिंग सेन्टर, अलीगंज, लखनऊ	8	मुरादाबाद सम्भागीय नियोजन खण्ड, 23–पी.ए.सी. के सामने, नया गॉव, कांठ रोड, मुरादाबाद
3	वाराणसी सम्भागीय नियोजन खण्ड, इंगलिशिया लाईन, वाराणसी	9	गोरखपुर सम्भागीय नियोजन खण्ड, द्वितीय तल, गोरखपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय भवन, गोरखपुर
4	आगरा सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर निगम भवन, आगरा	10	झॉसी सम्भागीय नियोजन खण्ड, 803/4, निकट पी. एण्ड टी. कालोनी, ग्वालियर रोड, झॉसी
5	मेरठ सम्भागीय नियोजन खण्ड, विकास प्राधिकरण परिसर, मेरठ	11	फैजाबाद सम्भागीय नियोजन खण्ड, 18--सिविल लाइन्स, फैजाबाद
6	प्रयागराज सम्भागीय नियोजन खण्ड, चन्दशेखर आजाद मार्केट, सिविल लाइन्स, प्रयागराज	12	आजमगढ़ सम्भागीय नियोजन खण्ड, निकट आर.टी.ओ. कार्यालय, मोहल्ला–घोरठ, आजमगढ़

परिशिष्ट–6

छोटे एवं मध्यम नगरों की संगठित विकास योजना (आई.डी.एस.एम.टी.) के कार्यालयों की सूची

क.सं.	कार्यालय का नाम	क.सं.	कार्यालय का नाम
केन्द्रीय इकाई			
1	संगठित विकास योजना, नगरपालिका परिषद, मिर्जापुर	4	संगठित विकास योजना, नगरपालिका परिषद, बस्ती
2	संगठित विकास योजना, नगरपालिका परिषद, सहारनपुर	5	संगठित विकास योजना, गोण्डा सम्बद्ध अयोध्या सम्भागीय नियोजन खण्ड
3	केन्द्रीय इकाई, फर्रूखाबाद, सम्बद्ध कानपुर सम्भागीय नियोजन खण्ड		
स्थानीय इकाई			
1	संगठित विकास योजना, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर	10	संगठित विकास योजना, नगरपालिका परिषद, रामपुर
2	संगठित विकास योजना, नगर पालिका परिषद, उरई	11	संगठित विकास योजना, नगरपालिका परिषद, बाराबंकी
3	संगठित विकास योजना, नगर पालिका परिषद, बदायूँ	12	संगठित विकास योजना, नगरपालिका परिषद, महाराजगंज
4	संगठित विकास योजना, नगर पालिका परिषद, बॉसी, सिद्धार्थनगर	13	संगठित विकास योजना, नगरपालिका परिषद, एटा
5	संगठित विकास योजना, नगर पालिका परिषद, इटावा	14	संगठित विकास योजना, नगरपालिका परिषद, मुजफ्फरनगर
6	संगठित विकास योजना, नगर पालिका परिषद, लखीमपुर–खीरी	15	संगठित विकास योजना, नगरपालिका परिषद, गोला गोकर्णनाथ
7	संगठित विकास योजना, प्रतापगढ़ सम्बद्ध प्रयागराज सम्भागीय नियोजन खण्ड	16	संगठित विकास योजना, पन्नालाल हाल, निकट रेलवे स्टेशन, उन्नाव
8	संगठित विकास योजना, नया बस अड्डा, निकट चण्डी मन्दिर, पिलखुआ, गाजियाबाद	17	संगठित विकास योजना, नगरपालिका पुस्तकालय परिसर, पुराना बाजार, चित्रकूट धाम, कर्वी
9	संगठित विकास योजना, जिला सहकारी बैंक के पास, डैम्पियर नगर, मथुरा		

पत्रावली संख्या–107विविध/2017
दिनांकः–24-12-2024

23.12.24

23/12/24

(पी0 गुरूप्रसाद)
प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।